केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–449)

विरासत संरक्षण एवं विकास योजना के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का मूल्यांकन अध्ययन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	i - x
प्रथम	अध्ययन संरचना	1 – 5
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	6 – 16
तृतीय	अध्ययन परिणाम	17 – 38
चतुर्थ	कठिनाइयाँ एवं सुझाव	39 – 42
	परिशिष्ट-I	43
	परिशिष्ट-II	44

———

उद्‌बोधन

प्रदेश की कला एवं संस्कृति यथा ऐतिहासिक मन्दिर, मस्जिद, हवेलियॉं, किले, महल व बावड़ी आदि विरासत के रूप में पुरातन एवं नवीन युग को जोड़ने वाली कड़ियॉं होती है। ये धरोहर स्वदेशी/विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहती हैं। अतः प्रदेश में चिन्हित विरासत स्मारकों के निकट नागरिक सुविधाओं के सृजन एवं उनके विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा ''विरासत संरक्षण एवं विकास योजना'' 8 दिसम्बर,2004 से प्रारम्भ की गयी।

योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक राज्य के चिन्हित 31 शहरों में स्मारकों के निकट नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु राशि 1915.77 लाख रूपये व्यय किये गये। योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की उपयोगिता एवं लाभों की स्थिति जानने हेतु विभाग की पहल पर मूल्यांकन संगठन द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन तैयार किया है।

अध्ययन के निष्कर्षों से परिलक्षित होता है कि योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों से पर्यटकों एवं नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हुई तथा शहरों के सौन्दर्यीकरण में भी वृद्धि हुई है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में योजना क्रियान्विति हेतु व्यावहारिक सुझावों का समावेश किया गया है। आशा है कि वर्णित सुझाव कार्यक्रम के प्रभावी संचालन में कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : 11 अक्टूबर,2010
स्थान : जयपुर

(देवेन्द्र भूषण गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

आमुख

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा शहरों में विरासत स्मारकों के निकट नागरिक सुविधाओं के विकास करने हेतु '' विरासत संरक्षण एवं विकास योजना'' 8 दिसम्बर 2004 से प्रारम्भ की गयी। योजनान्तर्गत राज्य के चिन्हित 31 शहरों हेतु वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक नागरिक आधारभूत सुविधाओं यथा विरासत स्मारकों को जोड़ने वाली सड़कों, फुटपाथ, डिवाईडर, नाली निर्माण, पार्क विकास इत्यादि परिसम्पत्तियां सृजित करने के साथ स्वच्छता, रोशनी इत्यादि जन सुविधाओं के विकास कार्य करवाने के प्रावधान किये गये।

इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन न्यादर्श प्रणाली के आधार पर किया गया, जिसके तहत् चार निकायों के 38 कार्यों का चयन किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन में विभाग से प्राप्त प्रलेख सूचनाओं/ कार्यकारियों से विमर्श कर एवं क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित कार्यों से सृजित परिसम्पत्ति का अवलोकन/ भौतिक निरीक्षण के आधार पर एकत्र सूचनाओं का विवेचन किया गया है।

योजनान्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों एवं उपलबध करायी गयी नागरिक सुविधाओं में लाभार्थियों एवं कार्यकारी स्तर पर अनुभूत कमियों/कठिनाइयों को इंगित करते हुए यथास्थान कारगर सुझाव प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेख किये गये हैं। आशा है कि वर्णित सुझाव योजना के प्रभावी संचालन में सहायक सिद्ध होंगे।

दिनांक– अक्टुबर,2010 **(देवानन्द)**
स्थान – जयपुर **निदेशक एवं पदेन उपसचिव**

विरासत संरक्षण एवं विकास योजना के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का मूल्यांकन अध्ययन

निष्पादक संक्षेप

I प्रस्तावना :

राष्ट्र की कला एवं संस्कृति यथा ऐतिहासिक मन्दिर, मस्जिद, हवेलियाँ, किले, महल व बावड़ी आदि को भारतीय संविधान राष्ट्रीय धरोहर मानता है इसलिए केन्द्र व राज्य सरकारे भी इन्हें आर्थिक सहायता एवं कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। इन विरासत धरोहरों के शहरों में हर वर्ष विदेशी एवं स्वदेशी पर्यटक भ्रमण के समय देखने आते हैं। अतः इन शहरों में विरासत स्मारकों के निकट नागरिक सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए उनके विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा ''विरासत संरक्षण एवं विकास योजना'' 8 दिसम्बर 2004 को लागू की गयी।

II योजना के उद्देश्य :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के स्मारकों में के निकट नागरिक सुविधाओं का विकास करना है। योजनान्तर्गत निम्न आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य करवाये जाते है :–

(i) स्वच्छता (Sanitaion) एवं जन–सुविधाओं का विकास करना,
(ii) रोशनी व्यवस्था करना,
(iii) स्मारक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों एवं शहरों का विकास करना,
(iv) सड़क निर्माण, फुटपाथ, नाली निर्माण, डिवाईडर आदि सुविधाओं का विकास करना एवं
(v) पार्किंग स्पेस, टूरिस्ट बूथ का विकास करना।

III योजना का स्वरूप :

राज्य सरकार द्वारा विरासत संरक्षण एवं पुरातात्विक महत्त्व के शहरों को संरक्षित एवं परिवर्द्धित करने हेतु 31 शहरों का चयन किया गया। इन चयनित शहरी निकायों में एक हैरिटेज प्रकोष्ठ तथा जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। जिला स्तरीय समिति में स्थानीय निकाय, नगर नियोजन, पुरातत्व तथा कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि होते है। हैरीटेज प्रकोष्ठ द्वारा विरासत भवनों, प्रसिद्ध विशिष्टि स्थलों को सूचीबद्ध कर विरासत संरक्षण सम्बन्धी मास्टर प्लान तैयार किया जाता है तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यों की स्वीकृति एवं राशि आवंटन इत्यादि का कार्य किया जाता है।

IV योजना का क्रियान्वयन :

राज्य स्तर पर योजना का नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग हैं। चयनित शहरी निकायों में करवाये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाती है। कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्यो का सर्वे एवं तकमीना तैयार किया जाता है। तत्पश्चात जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यो की स्वीकृति एवं राशि का आवंटन किया जाता है। जिला स्तरीय समिति इस योजना क्रियान्विती के लिये पूर्णतया जिम्मेदार है।

V अध्ययन की आवश्यकता :

स्वायत्त शासन विभाग की अनुशंषा पर इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन का कार्य राज्य मूल्यांकन संगठन, राजस्थान, जयपुर द्वारा सम्पादित किया गया।

VI अध्ययन के उद्देश्य

(i) योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना,

(ii) विरासत स्मारकों/पुरातात्विक सम्पदाओं के संरक्षण हेतु करवाये गये कार्यो की उपयोगिता एवं गुणवत्ता का आंकलन करना,

(iii) योजना से विरासत महत्व के स्थलों पर पड़े प्रभावों को ज्ञात करना एवं,

(iv) योजना के सफल एवं प्रभावी संचालन में आ रही कठिनाईयों को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

VII न्यादर्श चयन प्रक्रिया :

विभाग में उपलब्ध संसाधनों एवं योजना के क्रियान्वयन वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए योजना के मूल्यांकन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति को अपनाते हुए न्यादर्श का निम्न प्रकार से चयन कर क्षेत्रीय कार्य सम्पादित किया गया :–

- प्रथम स्तर पर 50 प्रतिशत सम्भागों का चयन साधारण रेन्डम पद्धति से किया गया, जिनमें क्रमशः भरतपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर संभागों को चयनित किया गया।
- द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित सम्भाग से एक–एक स्थानीय निकाय (कुल चार निकायों) का चयन वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक अधिकतम स्वीकृत कार्यों के आधार पर किया गया। जो क्रमशः डीग, जैसलमेर, झालावड़ एवं पुष्कर है।

- तृतीय स्तर पर चयनित स्थानीय निकाय वाले शहरों में वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक स्वीकृत कार्यों में से 38(50.00 प्रतिशत) कार्यों का चयन किया गया जिनमें से स्थानीय निकाय डीग, पुष्कर, जैसलमेर एवं झालावाड़ के क्रमशः 11,7,6 एवं 14 कार्य थे।

प्रस्तुत अध्ययन में चयनित 38 कार्यों के अलावा 24 अधिकारी–गैर अधिकारी उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के दौरान उनसे प्राप्त विचारों/ तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी/कार्यकर्ताओं के अवलोकित तथ्यों तथा विभाग एवं चयनित स्थानीय निकायों से योजना के क्रियान्वयन वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 की प्राप्त प्रलेख सूचनाओं को संकलित कर बिन्दु/ मदवार विश्लेषण किया गया है जो निम्न प्रकार हैः

VIII प्रगति समीक्षा :

(i) राज्य स्तरीय वित्तीय प्रगतिः

योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में चयनित शहरी 31 निकायों में से क्रमशः 22,12, एवं 17 निकायों में क्रमशः 990.00, 550.00 एवं 1000.00 लाख रूपये (कुल 2540.00 लाख रूपये) आवंटित किये गये जिसके विरूद्ध राशि 1915.77(75.42 प्रतिशत)लाख रूपये व्यय हुये।

- विभाग द्वारा वर्ष 2006–07 में आवंटित राशि 550.00 लाख रूपये में से 200.00 लाख रूपये जयपुर निकाय को आवंटित किये गये जिसमें व्यय राशि शून्य रही शेष 350.00 लाख रूपये में से 82.20 प्रतिशत राशि व्यय की गयी।
- विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 में आवंटित राशि 1000.00 लाख रूपये में से निकाय चौमू एवं जोधपुर में आवंटित राशि 50.08 एवं 75.00 लाख रूपये (कुल 125.08 लाख रूपये) में से कोई व्यय नहीं किया गया। शेष 874.92 लाख रूपये में से 74.42 प्रतिशत राशि व्यय की गयी।

(ii) राज्य स्तरीय भौतिक प्रगतिः

- तीनो वर्षों में 375 कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 87.73 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये गये, 3.20 प्रतिशत कार्य प्रगति पर थे एवं शेष 9.07 प्रतिशत कार्य या तो प्रारम्भ नहीं किये गये अथवा निरस्त कर दिये गये। वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में स्वीकृत कार्यों में से क्रमशः 93.88, 78.13 एवं 74.23 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये गये। वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के 3.12 एवं 13.64 प्रतिशत कार्य प्रगति पर थे।

(iii) उपयोगिता प्रमाण पत्रः

विभाग द्वारा वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में आवंटित राशि से क्रमशः 93.47, 47.63 एवं 63.06 प्रतिशत राशि के (तीनों वर्षो में 71.57 प्रतिशत) तथा व्यय की गयी राशि से क्रमशः 94.71, 91.05 एवं 96.85 प्रतिशत राशि (तीनों वर्षो में 94.89 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग द्वारा प्राप्त किये गये। इससे स्पष्ट है कि व्यय की गयी ज्यादातर राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गये परन्तु वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में आवंटित राशि के विपरित 47.63 एवं 63.06 प्रतिशत राशि के ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये। इससे स्पष्ट है इन दोनों वर्षो में आवंटित राशि योजनान्तर्गत कार्यो में व्यय नहीं की गयी। अतः ऐसी निकायों से जिनमें आवंटित राशि अवशेष है उनसे व्यय राशि का पूर्ण विवरण प्राप्त किया जावे तथा निकायो से अवशेष राशि प्राप्त कर उसके उपयोग करने हेतु समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जावे। राशि का आवंटन स्थानीय निकायों की कार्य योजना के आधार पर किया जाना चाहिये ताकि आवंटन राशि का व्यय होना सुनिश्चित हो सके।

(iv) चयनित शहरी निकायों की प्रगति :

- चयनित शहरी निकाय डीग, झालावाड़, जैसलमेर एवं पुष्कर में तीनों वर्षों में आवंटित राशि से क्रमशः 98.16, 88.69, 96.07 एवं 93.62 प्रतिशत राशि व्यय की गयी।
- तीनो वर्षों में चयनित चारों निकायों में 71 कार्य स्वीकृत किये गये जिसमें से सर्वे दिनांक को 94.36 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये गये, 4.23 प्रतिशत कार्य प्रगति पर थे एवं 1.41 प्रतिशत(1 कार्य) निरस्त किया गया।

IX अध्ययन परिणामः

(i) चयनित कार्यों का सामान्य विवरणः

- चयनित 38 कार्यों में से निकायों द्वारा वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में योजनान्तर्गत आवंटित राशि में से क्रमशः 20(52.53 प्रतिशत), 9(23.68 प्रतिशत) एवं 9(23.68 प्रतिशत) कार्य स्वीकृत किये गये।
- चयनित शतप्रतिशत कार्यों की स्वीकृति जिला स्तरीय गठित समिति के द्वारा की गयी।
- चयनित कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी शहरी निकाय थी तथा 37 कार्यों का निर्माण निकायों द्वारा एवं एक कार्य सुलभ इन्टरनेशनल द्वारा किया गया।
- सरकारी/गैर सरकारी उत्तरदाताओं ने शतप्रतिशत कार्यों का चयन आवश्यकतानुसार किया जाना तथा कार्य स्थल उपयुक्त स्थान पर होना अवगत कराया।

- चयनित 38 कार्यों में से 26.31 प्रतिशत कार्य सड़क निर्माण, मरम्मत एवं डामरीकरण सम्बन्धी, 13.16–13.16 प्रतिशत कार्य क्रमशः आवागमन के मार्गों पर रोशनी एवं परिसर विकास/ सौनदर्यीकरण सम्बन्धी 7.90–7.90–7.90 प्रतिशत कार्य क्रमशः सुलभ शौचालय, कचरा निस्तारण सम्बन्धी एवं नाली निर्माण सम्बन्धी 5.26–5.26–5.26 प्रतिशत कार्य क्रमशः पार्क विकास, सार्वजनिक स्थानों पर पेशाबघर एवं बैंचेज/चौकी निर्माण सम्बन्धी तथा शेष 7.89 प्रतिशत कार्य डिवाइडर निर्माण, गार्डन में झूले चकर इत्यादि एवं बस स्टैण्ड परिसर के निर्माण सम्बन्धी थे।

(ii) **कार्यों की स्वीकृत एवं व्यय राशिः**

चयनित 38 कार्यों में से सर्वे दिनांक तक 34(89.47 प्रतिशत) कार्य पूर्ण हो चुके थे तथा 4(10.53 प्रतिशत) कार्य प्रगति पर थे। पूर्ण हुए कार्यों पर स्वीकृत राशि में से 93.54 प्रतिशत राशि एवं प्रगति वाले कार्यों पर 73.00 प्रतिशत राशि व्यय हो चुकी थी। पूर्ण हुए कार्यों पर कम राशि व्यय होने का कारण कार्यों पर वास्तविक व्यय तकमीना राशि से कम होना रहा।

(iii) स्वीकृत राशि की समय पर उपलब्धता एवं पर्याप्तता के सम्बन्ध में शतप्रतिशत कार्यकारियों ने अवगत कराया कि कार्यों की स्वीकृत राशि समय पर पर्याप्त रूप से उपलब्ध करवायी गयी।

(iv) चयनित 38 कार्यों में से सर्वे दिनांक को 34 कार्य पूर्ण थे एवं 4 कार्य प्रगति पर थे। पूर्ण हुए 34 कार्यों में से 32 कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण करा लिए गये तथा शेष 2 कार्य चयनित क्षेत्र में पर्यटन सीजन एवं मरू मेला होने के कारण निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किये जा सके। कार्यकारियों ने प्रगति वाले 4 कार्यों में ज्यादा समय लगने के निम्न कारण बतायेंः

- उच्च स्तर पर स्वीकृति में देरी होना।
- निविदा प्रक्रिया में देरी लगना।
- स्थानीय कारण जैसे मेले, त्यौहार, पर्यटक सीजन आदि।

(v) **उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र :**

चयनित 38 कार्यों में से 31(81.58 प्रतिशत) कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं 30(79.95 प्रतिशत) कार्यों के पूर्णता प्रमाण भिजवाये गये, जिनमें 4 कार्य निर्माणाधीन थे तथा शेष 4 कार्यों के पूर्णतया लेखा संधारण के कारण लम्बित थे। व्यय की गयी/ पूर्ण किये गये कार्यों की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भिजवाने के निम्न कारण रहेः

- 4 कार्यों का निर्माणाधीन होना।

- 2 कार्यों को ठेकेदारों द्वारा बिल/वाउचर्स प्रस्तुत नहीं करना/ लेखा अपूर्ण रहना।
- 2 कार्य अभी पूर्ण होने के कारण उनके प्रमाण पत्र प्रक्रियाधीन होना।

(vi) कार्यों की गुणवत्ता :

निर्मित कार्यों के अवलोकन एवं क्षेत्र के नागरिक समूहों के अनुसार पूर्ण हुए 34 कार्यों में से 52.94 प्रतिशत कार्यों/परिसम्पतियों की गुणवत्ता ठीक, 26.47 प्रतिशत कार्यों की अच्छी एवं 20.59 प्रतिशत कार्यों की गुणवत्ता खराब पायी गयी। परिसम्पतियों की खराब गुणवत्ता के मुख्य कारण सड़क पर पानी भरना, लेबल ऊंचा नहीं रखना, निर्माण सामग्री निर्धारित अनुपात में नहीं लगाना एवं परिसम्पति के उपयोग में नहीं लेने के कारण खराब होना तथा पानी के अभाव से दूब/घास पार्क में सूख जाना तथा सर्वे दिनांक को सृजित परिसम्पत्तियों की टूटफूट होना एवं सुरक्षा/निगरानी व्यवस्था की कमी रहना रहा।

(vii) निर्मित परिसम्पतियों का उपयोग :

पूर्ण 34 कार्यो/सृजित परिसम्पत्तियों में से 31(91.18 प्रतिशत) परिसम्पत्तियों का सर्वे दिनांक को उपयोग किया जा रहा था तथा 3 (8.82 प्रतिशत) परिसम्पत्तियों का उपयोग नहीं किय जा रहा था। दो कार्य चोरी/बंदरों के तोड़ने के डर से नगर निकाय द्वारा लाईटें उतरवाकर स्टोर में रखवा देने एवं तीसरा कार्य निर्मित कियोस्क बंद रहने के कारण उपयोग में नहीं लिये जा रहे थे।

(viii) सृजित परिसम्पत्तियों का रखरखाव :

सृजित 34 परिसम्पत्तियों में से 50.00 प्रतिशत परिसम्पत्तियों के रखरखाव की स्थिति खराब पायी गयी। रखरखाव खराब होने वाले ज्यादातर कार्य पार्क विकास, नाली निर्माण, शौचालय एवं मुत्रालय इत्यादि के थे। रखरखाव खराब होने के कारण निम्न रहेः

- चौकीदार नहीं होने/देखरेख के अभाव में पार्क में लगाये गये झूले/चकरी इत्यादि का चोरी होना एवं समाज कंटकों द्वारा तोड़ देना।
- पार्क में रखरखाव की व्यवस्था नहीं होना एवं पानी नहीं देने के कारण पेड़ पौधे, दूब/लॉन आदि सूख जाना
- निर्माण कार्यों की देखरेख के अभाव में टूटफूट होना।
- सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होना
- साफसफाई एवं रखरखाव में जनता का आवश्यक सहयोग नहीं मिलना जिससे सृजित परिसम्पत्तियों के आसपास पानीभरना एवं कीचड़/गन्दगी होना।

(ix) निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण :

चयनित 38 कार्यों में से 26(68.42 प्रतिशत) कार्यों के निरीक्षण संबंधी जानकारी प्राप्त हुई। शेष 12 (31.58 प्रतिशत) कार्यों की सूचना प्राप्त नहीं हुई। सूचना प्राप्त नहीं होने वाले 12 कार्यों में से 11 कार्य डीग निकाय के थे इस निकाय में निरीक्षण संबंधी लेखा संधारण नहीं किया जाना पाया गया। इस संबंध में अवगत कराया गया कि समय–समय पर कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया गया शेष 2 कार्य सोलिड वेस्टेज निस्तारण संबंधी थे, जिनमें निरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिन 26 कार्यों के निरीक्षण की सूचना प्राप्त हुई उनमें प्रत्येक कार्य का कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा समय–समय पर, अधिशाषी अभियन्ता एवं निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों द्वारा भी कई कार्यों का निरीक्षण किया गया। झालावाड़ निकाय में निकाय के अध्यक्ष द्वारा 3 कार्यों एवं कलेक्टर द्वारा 1 कार्य का पर्यवेक्षण किया गया। अतः निरीक्षण/पर्यवेक्षण संबंधी अभिलेखों का संधारण किया जाना चाहिये ताकि कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान रखा जा सके तथा निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों की अनुपालना हो सके।

(x) कार्य निर्माण के प्रभाव :

योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों से पर्यटकों, नागरिकों एवं यात्रियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हुई है तथा शहर के सौन्दर्यीकरण में भी वृद्धि हुई है। कार्य निर्माण के पश्चात् इनके निम्न प्रभाव दृष्टिगौचर हुए:

1 सार्वजनिक स्थलों पर मूत्रालय/सुलभ शौचालय निर्मित होने से पर्यटकों/ नागरिकों को सुविधा उपलब्ध होना।
2 कचरा निस्तारण/ प्रबन्धन व जल निकासी से शहर से गन्दगी का निस्तारण होना।
3 रोड लाईटों/फ्लड लाईटों/ हाई मास्क लाईटों से पर्यटक स्थलों तक रोशनी की व्यवस्था होना।
4 सड़क निर्माण/ मरम्मत एवं फुटपाथ व डिवाईडर निर्माण से आवागमन की सुविधा होना
5 पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यकरण होना एवं शहर में स्वच्छता एवं सुन्दरता का वातावरण होना।
6 पार्क व मनोरंजन के साधन सृजित/विकसित होने से आमोद प्रमोद/ घूमने–फिरने की व्यवस्था होना तथा वृक्षारोपण एवं पेड़ पौधे लगाने से शुद्ध पर्यावरण मिलना।
7 पर्यटक स्मारकों के विकास से पर्यटन भ्रमण संख्या में वृद्धि होना।
8 विकास कार्य निर्मित होने से स्थानीय मजदूरों को रोजगार उपलब्ध होना।
9 सृजित परिसम्पत्तियों के आस पास स्थानीय नागरिकों के अतिरिक्त धन्धे विकसित होना

X योजना के संचालन से दृष्टिगोचर हुई कठिनाइयां एवं सुझावः

1 अभिलेखों का संघारण, मोनिटरिंग एवं समन्वय की व्यवस्थाः

विभाग से प्राप्त अद्योतन प्रगति के अनुसार निकाय चौमू, जयपुर, जोधपुर की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शून्य अंकित है। इससे यह प्रतीत होता है कि राज्य एवं जिला स्तरीय नोडल एजेन्सी में परस्पर समन्वय का अभाव होने के साथ ही योजना/कार्यों की नियमित मोनिटरिंग नहीं हो पायी है तथा अभिलेखों का सही रूप से संघारण नहीं हो पाया है। जिसके कारण योजना की वास्तविक प्रगति परिलक्षित नहीं हो पायी। अतः विभाग द्वारा सूचना तन्त्र को प्रभावी कर योजना की नियमित मोनिटरिंग की जानी चाहिये।

2 योजनान्तर्गत अवशेष राशि का उपयोगः

विभाग को कई निकायों से आवंटित राशि के विपरीत व्यय की गयी राशि की अद्योतन सूचना प्राप्त नहीं हुई है एवं चौमू, जयपुर, जोधपुर निकाय की प्रगति शून्य रही है। अतः विभाग द्वारा समस्त निकायों से अवशेष राशि की सूचना प्राप्त की जावे तथा जिन निकायों में अवशेष राशि व्यय करने की कोई सम्भावना नहीं हो तो राशि प्राप्त कर अन्य निकायों को आवंटित कर उपयोग में लिया जाना चाहिये। इस हेतु समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जावे।

3 आवंटित राशि की उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र यथा समय प्राप्त करनाः

निकायों द्वारा आवंटित राशि का उपयोग निर्धारित वित्तीय वर्षो में नहीं किया जाकर अगले वित्तीय वर्षों में किया गया तथा व्यय राशि का उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र यथा समय नहीं भिजवाने के कारण लम्बे समय तक निकायों के पास अवशेष राशि पड़ी रही है। अतः विभाग द्वारा यथा समय व्यय राशि के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिये।

4 निर्मित कार्यों के रखरखाव हेतु पृथक से बजट/ राशि का प्रावधानः

योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा सृजित सम्पतियों को नष्ट कर देना, चोरी हो जाना आदि के साथ चौकीदार के अभाव में देखरेख नहीं होना, पानी के अभाव में पेड़ पौधे/लॉन का सूख जाने के कारण सृजित संसाधनों के उपयोग में कमी हुई है। अतः सृजित परिसम्पत्तियों के नियिमत उपयोगी रखने हेतु उनकी सुरक्षा निगरानी एवं रखरखाव हेतु योजनान्तर्गत पृथक से बजट राशि का प्रावधान किया जाना उपयुक्त रहेगा। यह राशि कार्यकारी एजेन्सियों को उपलब्ध करायी जावे या फिर उन निकायों को राशि आवंटन की जावे जो संधारण/रखरखाव की जिम्मेदारी वहन करने के लिए वचनबद्ध हों।

5 **कार्यों के चयन एवं रखरखाव में जनभागीदारीः**

विरासत संरक्षण विकास कार्यों के चयन एवं सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की व्यवस्था हेतु स्थानीय नागरिकों की भागीदारी प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिये जिससे सृजित परिसम्पत्तियों जन उपयोग रह सके।

6 **अन्यः**

- जिन शहरी निकायों में मास्टर प्लान तैयार नहीं करवाये गये उन निकायों के तैयार करवाये जाने चाहिये।
- सृजित परिसम्पत्तियों तक निश्चित अवधि तक खराब/डेमेज होने पर उनको ठीक/मरम्मत करने हेतु कार्यकारी एजेन्सी को पाबन्द किया जाना चाहिये
- विरासत संरक्षण से सम्बन्धित कार्य प्राथमिकता से ज्यादा करवाये जाने चाहिये।
- योजना का दायरा बढ़ाकर अधिक बजट का प्रावधान किया जाना चाहिये जिससे योजनान्तर्गत परिपूर्ण नियोजन पद्धति अपनाते हुए आवश्यकतानुसार शहर का परिपूर्ण विकास हो सके।

ऐसे निर्माण कार्य भी निर्मित/चिन्हित करवाये जाने चाहिए जो स्थानीय निकाय का आय के स्त्रोत हो सके ताकि प्राप्त राजस्व से कार्यों का संधारण/रखरखाव करने में सहुलियत हो सके।

निष्कर्षः

''विरासत संरक्षण एवं विकास योजना'' राज्य के शहरों में विरासत स्मारकों के निकट नागरिक सुविधाओं का विकास करने के उद्धेश्य क्रियान्वित योजना सिद्धातः शत–प्रतिशत उपयोगी है। योजनान्तर्गत जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यों का चयन उस क्षेत्र/स्थानीय कार्य की आवश्यकता एवं उनकी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए उपयोगी कार्यों का चयन किया गया। निकायों को वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में आवंटित राशि में से निकाय चौमू, जयपुर एवं जोधपुर में राशि व्यय नहीं की गयी या तीनों निकायों से व्यय की गयी राशि/स्वीकृत कार्यों की प्रगति विभाग को प्राप्त नहीं हुयी जो कि राज्य स्तर पर प्रभावी मोनीटरिंग का अभाव दर्शाता है। विभाग स्तर पर वर्ष 05–06 से 07–08 तक आवंटन राशि के विरूद्ध 24.58 प्रतिशत राशि वर्ष 09–10 तक व्यय नहीं की हुयी है। अतः विभाग द्वारा समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर निकायों से व्यय की गयी राशि वास्तविक स्थिति जानकारी प्राप्त कर शेष रही अवशेष राशि का योजनान्तर्गत उपयोग किया जाना चाहिये। अध्ययन हेतु 79 प्रतिशत चयनित कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक थी 21 प्रतिशत कार्यों की गुणवत्ता सर्वे दिनांक को सृजित परिसम्पत्तियों की टूट फूट होना, सुरक्षा, रखरखाव एवं निगरानी की व्यवस्था

नहीं होना, निर्माण सामग्री निर्धारित अनुपात में नहीं लगाना, पानी के निकास की कमी से पानी भरना इत्यादि कमियों के मध्यनजर संतोषजनक नहीं पायी गयी। सर्वे दिनांक को 50.00 प्रतिशत परिसम्पतियों के रखरखाव की व्यवस्था समुचित नहीं होने के कारण उनकी उपयोगिता नगण्य पायी गयी। रखरखाव की कमी वाले कार्य मुख्यतः पार्क विकास एवं विस्तार, नाली निमार्ण, शौचालय, मुत्रालय एवं फ्लड लाइट सम्बन्धित थे। योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों के रखरखाव/निगरानी की कमी से उनका उपयोग घटता जा रहा है। अतः इन कार्यों को जनोपयोगी रखने हेतु उनकी सुरक्षा एवं निगरानी हेतु जनसमुदाय सहभागिता की अति आवश्यकता जान पड़ती है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समय पर प्रगति विवरण प्राप्त करना एवं रखरखाव हेतु बजट आवंटन, जनसहभागिता एवं कार्यकारी एजेन्सी का उत्तरदायित्व निर्धारण किये जाने पर ही कार्यों की उपयोगिता एवं योजना का निहित उद्देश्य सफल हो सकेगा।

————

अध्याय –प्रथम

अध्ययन संरचना

1.1.0 पृष्ठ भूमि :

1.1.1 विरासत किसी भी देश की कला एवं संस्कृति व गौरवमयी इतिहास की परिचायक होती है। विरासत पुरातन एवं नवीन युग को जोडने वाली कड़िया हेाती है जिनके माध्यम से हमे ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परम्पराओ तथा कलाओं की जानकारी प्राप्त होती है अतः देश की समृद्ध संस्कृति का परिचय उसको विरासत में प्राप्त सम्पति है। राष्ट्र की कला एवं संस्कृति यथा ऐतिहासिक मन्दिर, मस्जिद, हवेलियाँ, किले, महल व बावड़ी आदि को भारतीय संविधान राष्ट्रीय धरोहर मानता है इसलिए केन्द्र व राज्य सरकारे भी इन्हें आर्थिक सहायता एवं कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। इनमें राष्ट्र की आत्मिक आस्था निहित होती हैं।

1.1.2 राजस्थान का भी कलात्मक पुरातात्विक धरोहरों –स्मारकों एवं कला–पुरा सामग्री के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास रहा है। इन विरासत धरोहरों के शहरों में हर वर्ष विदेशी एवं स्वदेशी पर्यटक भ्रमण के समय देखने आते हैं। इन विरासत सम्पत्तियों/धरोहरों के निकट नागरिक सुविधाओं की कमियों को ध्यान में रखते हुए उनके विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा ''विरासत संरक्षण एवं विकास योजना'' 8 दिसम्बर 2004 को लागू की गयी।

1.2.0 योजना के उद्देश्य :

1.2.1 राज्य के शहरों में विरासत स्मारकों के निकट नागरिक सुविधाओं का विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजनान्तर्गत शहरों में विरासत स्मारक स्थलों के निकट निम्न आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य करवाये जाने का प्रावधान है :–

(i) स्वच्छता (Sanitaion) एवं जन–सुविधाओं का विकास करना (साफ–सफाई व नागरिक सुविधाओं का रख–रखाव)।

(ii) रोशनी व्यवस्था करना।

(iii) स्मारक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों एवं शहरों का विकास करना।

(iv) सड़क निर्माण, फुटपाथ, नाली निर्माण, डिवाईडर आदि सुविधाओं का विकास करना।

(v) पार्किंग स्पेस, टूरिस्ट बूथ का विकास करना।

1.3.0 **योजना का स्वरूप :**

1.3.1 राज्य सरकार द्वारा विरासत संरक्षण एवं पुरातात्विक महत्त्व के शहरों को संरक्षित एवं परिवर्द्धित करने हेतु 31 शहरों का चयन किया गया। इन शहरों में विरासत संरक्षण के कार्यों को सम्पादित करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। इसके लिए चयनित नगर निकायों द्वारा वार्षिक बजट में विरासत कार्यों के लिए नया मद निर्धारित किया गया। इन चयनित शहरी निकायों में एक हैरिटेज प्रकोष्ठ तथा जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी, जिसमें निम्न विभागों के प्रतिनिधि नियुक्त किये गये :–

(i) आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी – सदस्य सचिव

(ii) अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता स्थानीय निकाय से सम्बन्धित – सदस्य

(iii) उप नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग – सदस्य

(iv) प्रतिनिधि पुरातत्व विभाग – सदस्य

(v) प्रतिनिधि कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग – सदस्य

निकाय में गठित हैरिटेज प्रकोष्ट द्वारा विरासत संरक्षण सम्बन्धी सूचना यथा विरासत भवनों, स्थलों, स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध/विशिष्ठ स्थलों को सूचीबद्ध कर उनका मास्टर प्लान तैयार किया जाता हैं। जिला स्तरीय समिति से उक्त प्लान की स्वीकृति ली जाती है तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत कार्यो को आगामी वार्षिक कार्य योजना में मूर्त रूप दिया जाता है। इस प्रकार जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय समिति इस योजना की क्रियान्विति के लिए पूर्णतया जिम्मेदार हैं।

1.4.0 **योजना का क्रियान्वयन :**

1.4.1 राज्य स्तर पर योजना का नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग हैं। विरासत महत्व के चिन्हित स्मारकों के विकास एवं उसके आस–पास नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु नगरीय निकायों द्वारा कला एवं संस्कृति विभाग से समन्वय रखते हुए जिला स्तरीय कमेटी द्वारा करवाये जाने वाले कार्यो का निर्णय किया जाता है तथा कार्यों की प्राथमिकता भी तय की जाती है। कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्यो का सर्वे एवं तकमीना तैयार किया जाता है। जिला कलक्टर द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को राशि का आवंटन किया जाता है। इस प्रकार जिला स्तरीय समिति द्वारा ही विरासत स्मारकों के कार्यो की स्वीकृति, राशि का आवंटन किया जाता है।

1.4.2 विरासत संरक्षण एवं विकास योजना 8 दिसम्बर 2004 को लागू की गयी। इस योजना में विरासत एवं पर्यटन महत्व की दृष्टि से 31 शहरों अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेंर, बूंदी, छबडा, चित्तौड़गढ़, चौंमू, डीग, डूंगरपुर, फतेहपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, मण्ड़ावा, नवलगढ़, पुष्कर, सवाईमाधोपुर, सीकर, उदयपुर, खेतड़ी, चूरू, रतननगर, कांमा, पीलीबंगा, नाथद्वारा, झालरापाटन एवं जयपुर का चयन किया गया। इन चयनित स्थानीय निकायों द्वारा विरासत/पुरातात्विक सम्पदाओं के संरक्षण के लिए निम्न प्रकार के कार्य किये गयेः–
हैरिटेज महत्व के स्मारकों, भवनों, हवेलियों के आस–पास साफ–सफाई, रख–रखाव, रोशनी, सड़क निर्माण, फुटपाथ निर्माण, सड़क किनारे नाली निर्माण, रोड़ लाईट, शौचालय, मूत्रालय,बैंचे लगाना, खुले चौक, पार्किंग स्पेस, टयूरिस्ट बूथ आदि सेवाऐं/सुविधाओं के निर्माण कार्य करवाये गये।

1.5.0 योजना की प्रगति :

1.5.1 योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 से राशि का निकायों में आवंटन किया गया। वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कुल 2540.00 लाख रूपये राशि का आवंटन चयनित शहरी स्थानीय निकायो को किया गया जिसमें वर्ष 2005–06 में 990.00 लाख रूपये, एवं वर्ष 2006–07 में 550.00 लाख रूपये तथा वर्ष 2007–08 में 1000.00 लाख रूपये की राशि आवटित की गई, इस प्रकार कुल 2540.00 लाख रूपये की राशि के विपरीत 1915.77 लाख रूपये की राशि व्यय की गई। योजनान्तर्गत कुल 375 कार्य स्वीकृत किये गये, जिनके विपरीत 329 कार्य पूर्ण किये गये एवं 12 कार्य प्रगति पर थे तथा शेष 34 कार्य या तो प्रारम्भ नही किये गये या निरस्त कर दिये गये।

1.6.0 अध्ययन की आवश्यकता :

1.6.1 स्वायत्त शासन विभाग, की अनुशंषा पर विरासत संरक्षण एवं विकास योजना के अन्तर्गत करवाये गये कार्यो का मूल्यांकन अध्ययन राज्य मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया।

1.7.0 अध्ययन के उद्देश्य

1.7.1 अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गयेः–

(i) योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना,

(ii) विरासत स्मारकों/पुरातात्विक सम्पदाओं के संरक्षण हेतु करवाये गये कार्यो की उपयोगिता एवं गुणवत्ता का आंकलन करना,

(iii) योजना से विरासत महत्व के स्थलों पर पड़े प्रभावों को ज्ञात करना एवं,

(iv) योजना के सफल एवं प्रभावी संचालन में आ रही कठिनाईयों को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

1.8.0 **न्यादर्श चयन प्रक्रिया :**

1.8.1 योजना राज्य के 31 शहरो में संचालित की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक की प्रगति को ध्यान में रखते हुए बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति के आधार पर सम्भाग एवं निकायों का चयन किया गया तथा कार्यो का चयन वर्ष 2008–09 तक की प्रगति के आधार पर किया गया। न्यादर्श चयन का विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) विभागीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रथम स्तर पर 50 प्रतिशत सम्भागों का चयन साधारण रेन्डम पद्धति से किया गया, जिनमें क्रमशः भरतपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर संभागों को चयनित किया गया।

(ii) द्वितीय स्तर पर चयनित चारों सम्भागों यथा–भरतपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेंर से चार स्थानीय निकाय यथा–डीग, जैसलमेंर, झालावाड एवं पुष्कर का चयन वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक अधिकतम स्वीकृत कार्यों के आधार पर किया गया।

(iii) तृतीय स्तर पर, चारों चयनित स्थानीय निकाय वाले शहरों में वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले पाँच प्रकार के कार्यो (पैरा 1.2.1 के अनुसार) में से कार्यो का चयन किया गया। चयनित निकाय द्वारा इन पांचों कार्यों में से जिस–जिस श्रेणी के कार्य स्वीकृत किये गये है, उन स्वीकृत कार्यों में से प्रत्येक श्रेणी के 50 प्रतिशत कार्य अध्ययन हेतु चयनित किये गये।

1.9.0 **चयनित न्यादर्श का स्वरूपः**

1.9.1 संक्षेप में अध्ययन हेतु उपरोक्त चयन प्रक्रिया के अनुसार निम्न इकाईयाँ का चयन किया गया :–

चयनित सम्भाग	चयनित स्थानीय निकाय/शहर	चयनित कार्यों की संख्या
भरतपुर	डीग	11
अजमेर	पुष्कर	07
जोधपुर	जैसलमेंर	06
कोटा	झालावाड़	14
योग		**38**

1.10.0 **अनुसूचियाँ :**

1.10.1 अध्ययन हेतु क्षेत्रीय कार्य के लिए निम्नलिखित अनुसूचियाँ उपयोग में ली गयी :–

(i) **स्थानीय निकाय अनुसूची**

इस अनुसूची में चयनित स्थानीय निकायों की योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक आवंटित राशि से स्वीकृत कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अंकित की गयी।

(ii) **कार्य अनुसूची**

इस अनुसूची में वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 में आवंटित राशि से निकायों में स्वीकृत समस्त चयनित कार्यो हेतु आवंटित राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि के साथ–साथ सर्वे दिनांक को चयनित कार्यो की भौतिक स्थिति का उल्लेख किया गया।

(iii) **सरकारी गैर सरकारी अनुसूची**

इस अनुसूची में अध्ययन हेतु चयनित स्थानीय निकायों/शहरों में योजना से जुड़े निकाय एवं कार्यकारी एजेन्सी के अभियन्ता/अधिकारियों/कार्यकारियों के साथ–साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े या योजना में रूचि रखने वाले गैर–सरकारी उत्तरदाताओं से योजना सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं की जानकारियां प्राप्त की गयी।

(iv) **अवलोकन टिप्पणी**

अध्ययन का क्षेत्रीय कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी/क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा अध्ययन के उद्देश्य/बिन्दुवार अवलोकित तथ्यों सम्बन्धी टिप्पणी प्रस्तुत करने के साथ–साथ कार्य का उपयोग करने वाले क्षेत्रीय लाभार्थियों से विचार विमर्श कर उनके विचार (कठिनाईयाँ/सुझाव) भी सम्मिलित किये गये।

1.10.2 इस प्रकार अध्ययन हेतु चयनित स्थानीय निकायों से क्षेत्रीय कार्य के दौरान निर्धारित अनुसूचियां भरी गयी जिनका संभागवार /शहरवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

सारणी संख्या–1

क्षेत्रीय कार्य के दौरान भरी गई अनुसूचियों का विवरण

चयनित संभाग	चयनित शहर/निकाय	कुल स्वीकृत कार्य	कुल चयनित कार्य	अनुसूचियों का विवरण जो भरी गयी			
				कार्य अनुसूची	चयनित निकाय प्रलेख अनुसूची	सरकारी/गैर सरकारी अनु.	अवलोकित टिप्पणी
भरतपुर	डीग	23	11	11	1	8	1
अजमेर	पुष्कर	11	7	7	1	6	2
जोधपुर	जैसलमेर	10	6	6	1	8	2
कोटा	झालावाड़	27	14	14	1	2	2
योग		**71**	**38**	**38**	**4**	**24**	**7**

1.11.0 **संदर्भ अवधि :**

1.11.1 प्रलेख सूचनाऐं योजना के क्रियान्वयन वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक आवंटित राशि की एकत्रित की गयी। कार्यो की भौतिक स्थिति, उपयोगिता एवं अधिकारियों–गैर अधिकारियों के विचार सर्वे दिनांक से सम्बन्धित है। (अध्ययन का सर्वे कार्य माह जून, 2009 से अक्टूबर, 2009 के मध्य किया गया)।

———

अध्याय –द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.1.0 योजना की रूपरेखा :

2.1.1 राज्य की कलात्मक धरोहरों, स्मारकों एवं पुरा महत्व की सम्पदा के आस–पास नागरिक आधारभूत सुविधाओं को परिवर्धित/विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा माह दिसम्बर 2004 में विरासत संरक्षण एवं विकास योजना लागू की गयी ताकि स्मारकों के आस–पास स्वदेशी–विदेशी पर्यटकों को भ्रमण के दौरान उन्हे कोई कठिनाई नही हो एवं हैरिटेज के प्रति उनका आकर्षण बढे। योजनान्तर्गत इन नागरिक सुविधाओं में हैरिटेज महत्व के स्मारकों के आस–पास साफ–सफाई, रख–रखाव, रोशनी, सड़क निर्माण, फुटपाथ निर्माण, नाली निर्माण, रोड़ लाईट, शौचालय, मूत्रालयों का निर्माण, साईनेज बैंचे लगाना, पार्किंग, टयूरिस्ट बूथ आदि सुविधाओं के निर्माण कार्य किये जाते हैं। प्रारम्भिक वर्ष में यह योजना राज्य के चयनित 23 शहरों में लागू कि गई तत्पश्चात् 8 शहरो का चयन कर इसमें सम्मिलित कर लिया गया। यह योजना राज्य के पुरा महत्व के कुल 31 चयनित शहरों में क्रियान्वित की गयी एवं चयनित निकायों/शहरों को वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक तीन वर्षों में विकास कार्य हेतु राशि का आवंटन किया गया।

2.1.2 राज्य स्तर पर इस योजना का नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग है एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति है जिसमें विभिन्न विभागों यथा कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होते है, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्णतया जिम्मेदार है।चयनित सभी 31 शहरी निकायों में हैरिटेज प्रकोष्ठ रखे हैं। चयनित नगर निकायों के वार्षिक बजट मे विरासत सम्बन्धी कार्यो के लिए नवीन मद रखा गया है। जिला स्तरीय समिति द्वारा इस योजना को क्रियान्वित करवाने हेतु बजट आवंटन एवं कार्यो की स्वीकृति जारी की जाती है।

2.1.3 योजना के प्रारम्भिक वित्तीय वर्ष 2004–05 में निकायों को राशि आवंटित नहीं की गयी तथा वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक चयनित 31 शहरी निकायो में कुल 2540.00 लाख रूपये की राशि का आवंटन कर स्वीकृतियां जारी की गयी। विभाग से प्राप्त राज्य स्तरीय निकाय वार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना तथा क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित निकायों से प्राप्त सूचनाएँ/संमकों में अन्तर पाया गया। निकायों से प्राप्त संमक ज्यादा थे एवं विभाग से प्राप्त प्रगति के संमक कम थे। अतः विभाग से पुनः निकायवार अद्योतन सूचनाएँ प्राप्त की गयी। अद्योतन वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही राज्य स्तरीय एवं चयनित निकायों की प्रगति का विश्लेषण/समीक्षा की गयी है जो निम्न प्रकार हैः–

2.2.0 **राज्य स्तरीय वित्तीय प्रगति :**

2.2.1 विभाग द्वारा शहरी निकायों को योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में चयनित 31 शहरी निकायों में से क्रमशः 22,12 एवं 17 निकायों में राशि आवंटित की गयी। इन तीनों वित्तीय वर्षो में आवंटित राशि के विरूद्ध व्यय की गयी राशि का विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया निकायवार विवरण **परिशिष्ट–I** में दर्शाया गया हैं। वर्षवार आवंटित राशि में से व्यय की गयी राशि का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है:–

सारणी संख्या–2

वर्षवार आवंटित राशि में से व्यय की गयी राशि का विवरण

(राशि रूपये लाखों में)

वर्ष	आवंटन/जारी राशि	व्यय राशि	अवशेष राशि
2005–06	990.00	977.01 (98.69)	12.99 (1.31)
2006–07	550.00	287.69 (52.31)	262.31 (47.69)
2007–08	1000.00	651.06 (65.11)	348.93 (34.89)
योग	2540.00	1915.77 (75.42)	624.23 (24.58)

नोटः–कोष्ठक में आवंटित राशि से व्यय राशि एवं अवशेष राशि का प्रतिशत अंकित हैं।

2.2.2 उपरोक्त सारणी में अंकित संमकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि:–

(i) योजनान्तर्गत तीनों वर्षो 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में 2540.00 लाख रूपये आंवटित किये गये जिनमें से 1915.77 (75.42 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये एवं शेष 624.30 (24.58 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये जाने हेतु निकायो में अवशेष थे।

(ii) वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में आंवटित राशि में से क्रमशः 98.69, 52.31 एवं 65.11 प्रतिशत व्यय किये गये। वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में आवंटित राशि में से काफी कम राशि व्यय की गयी एवं वर्ष 2005–06 में आवंटित राशि का 98.69 प्रतिशत व्यय किया गया।

(iii) परिशिष्ट–I में अंकित निकायवार वर्ष 2006–07 की सूचना के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2006–07 में 550.00 लाख रूपये 12 निकायो को आवंटित किये गये थे। विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार एक निकाय जयपुर में 200.00 लाख रूपये आवंटित किये गये जिनमे व्यय राशि की प्रगति शून्य अंकित हैं। शेष 11 निकायो में रूपये आवंटित राशि 350.00 लाख रूपये में से 287.69 (82.20 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये। इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2006–07 में जयपुर निकाय में आवंटित राशि में से व्यय नहीं किये जाने के कारण वित्तीय प्रगति कम रही।

(iv) इसी प्रकार परिशिष्ट–I में अंकित विवरण अनुसार वर्ष 2007–08 में 17 निकायो में 1000.00 लाख रूपये आवंटित किये गये थे। दो निकायों चौमू एवं जोधपुर में क्रमशः 50.08 एवं 75.00 (कुल 125.08) लाख रूपये में से कोई व्यय नहीं किया गया तथा शेष 15 निकायों में आवंटित राशि 874.92 लाख रूपये में से 651.07 (74.42 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार वर्ष 2007–08 में उपरोक्त वर्णित दो निकायों में आवंटित राशि में से व्यय नहीं किये जाने एवं निकाय अजमेर, मंडावा, उदयपुर, चुरू, झालावाड़ में भी आवंटित राशि से कम व्यय किये जाने के कारण वित्तीय प्रगति कम रही।

(v) योजनान्तर्गत चयनित 31 शहरी निकायो द्वारा तीनों वर्षो में कुल आवंटित राशि में से तीनों वर्षो में कुल व्यय राशि के प्रतिशत की गणना परिशिष्ट–I में की गयी। जिससे यह ज्ञात हो सके किन–किन निकायो की तीनो वर्षो में वित्तीय प्रगति कितनी रही। आवंटित राशि से व्यय की गयी राशि के प्रतिशत को पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाकर निकायो की वित्तीय प्रगति का आकंलन किया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

परिशिष्ट–I में निकायवार तीनो वर्षो में कुल आवंटित राशि में से व्यय की गयी राशि के प्रतिशत का विवरण

क्र. सं.	प्रतिशत का वर्गीकरण	निकाय संख्या	निकायों के नाम
1	90 प्रतिशत से ज्यादा व्यय करने वाली निकाय	18	पुष्कर, भरतपुर, डीग, कांमा, सवाई माधोपुर, अलवर, फतेहपुर, सीकर, नवलगढ़, खेतड़ी, बांसवाड़ा, चित्तौडगढ़, नाथद्धारा,, बीकानेर, रतननगर, पीलीबंगा, जैसलमेर, बून्दी
2	70 से 90 प्रतिशत के बीच व्यय करने वाली निकाय	7	अजमेर, डूँगरपुर, चुरू, झालावाड़, झालरापाटन, झुन्झुनू, छबड़ा
3	50 से 70 प्रतिशत के बीच व्यय करने वाली निकाय	1	मंडावा
4	50 प्रतिशत से कम व्यय करने वाली निकाय	2	उदयपुर, कोटा।
5	आवंटित राशि मे से शून्य व्यय करने वाली निकाय	3	चौमू, जयपुर, जोधपुर।

उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि 31 निकायों में से 18 (58.06 प्रतिशत) निकायों में आवंटित राशि का 90 प्रतिशत से ज्यादा, 7(22.58) निकायों में 70 से 90 प्रतिशत के बीच, 1(3.23 प्रतिशत) निकायों में 50 से 70 प्रतिशत के बीच, 2(6.45 प्रतिशत) निकायो में 50 प्रतिशत से कम व्यय किया गया तथा शेष 3(9.68 प्रतिशत) निकायो में आवंटित राशि में से कोई व्यय नहीं किया गया। इस प्रकार योजनान्तर्गत तीन वर्षो 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में 31 निकायो में 2540.00 लाख रूपये आवंटित किये गये जिनमे से तीन निकायो चौमू, जयपुर एवं जोधपुर में क्रमशः 50.08, 200.00 एवं 75.00 (कुल 325.08) लाख रूपये आवंटित राशि

में कोई व्यय नहीं किया गया तथा शेष 28 निकायो ने आवंटित राशि 2214.92 लाख रूपये में से 1915.77(86.49 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में जिन तीन निकायो को राशि आवंटित की गयी थी उनमें कोई वित्तीय प्रगति प्राप्त नहीं की गई या वित्तीय प्रगति शून्य रही। अतः विभाग द्वारा इन निकायो की वित्तीय प्रगति की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यदि इन निकायो द्वारा अभी तक कार्य सम्पन्न नहीं किये हो तो उनसे राशि प्राप्त कर उसका उपयोग अन्य निकायो के माध्यम से करवाया जाना चाहिए। जिन निकायों में अवशेष राशि है, उस राशि को उपयोग में लिए जाने हेतु भी कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।

2.3.0 राज्य स्तरीय भौतिक प्रगति :

2.3.1 राज्य के स्थानीय निकाय विभाग द्वारा वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक के वित्तीय वर्षो में आवंटित राशि से स्वीकृत कार्यो/पूर्ण किये गये कार्यो/अपूर्ण कार्यो की वर्षवार भौतिक प्रगति का विभाग से प्राप्त विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है एवं वर्षवार निकायवार प्रगति की सूचना प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–II** में दी गयी है।

सारणी संख्या 3

वर्षवार आवंटित राशि से स्वीकृत/पूर्ण किये गये कार्यो का विवरण

(संख्या)

वर्ष	स्वीकृत किये गये कार्यों की संख्या कुल	पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या	कार्य प्रगति पर	कार्य प्रारम्भ ही नही/निरस्त किये गये।
2005–06	245	230 (93.88)	1 (0.41)	14 (5.71)
2006–07	64	50 (78.13)	2 (3.12)	12 (18.75)
2007–08	66	49 (74.24)	9 (13.64)	8 (12.12)
योग	**375**	**329** (87.73)	**12** (3.20)	**34** (9.07)

नोटः– ( ) कोष्ठक में प्रतिशत दिया गया है।

2.3.2 उपरोक्त सारणी में दी गई राज्य स्तरीय भौतिक प्रगति की सूचनाओं का अवलोकन करने से जानकारी मिलती है कि :–

(i) वित्तीय वर्ष 2005–06 में राज्य के 31 चयनित शहरी निकायों में कुल 245 कार्यो की स्वीकृत्तियां जारी की गई जिनके विरूद्ध 230 (93.88 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये एवं 1 (0.41 प्रतिशत) कार्य प्रगति पर था तथा 14 (5.71 प्रतिशत) कार्य या तो प्रारंभ नही नही किये गये अथवा निरस्त कर दिये गये।

(ii) वर्ष 2006–07 में योजनान्तर्गत 64 कार्यो की स्वीकृत्तियां जारी की गई जिनके विरूद्ध 50(78.13 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये एवं 2(3.12 प्रतिशत) कार्य प्रगति पर थे तथा 12(18.75 प्रतिशत) कार्य या तो प्रारम्भ ही नही किये गये अथवा निरस्त कर दिये गये।

(iii) इसी प्रकार वर्ष 2007–08 में मात्र 66 कार्यो की ही स्वीकृतियॉ जारी की गई जिनके विपरीत 49(74.24 प्रतिशत) कार्य ही पूर्ण किये गये एवं 9(13.64 प्रतिशत) कार्य प्रगति पर तथा शेष 8(12.12 प्रतिशत) कार्यो को या तो प्रारम्भ ही नही किया अथवा उन्हें निरस्त कर दिया गया।

2.3.3 तीन वर्षो मे विभाग से प्राप्त संमकों के अनुसार 375 कार्य स्वीकृत किये गये उनमें से 329(87.73 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये 12(3.20 प्रतिशत) कार्य प्रगति पर एवं शेष 34(9.07 प्रतिशत) कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये/निरस्त किये गये इस प्रकार निकायों द्वारा 9.07 प्रतिशत स्वीकृत कार्य प्रारम्भ नहीं करने/निरस्त किये जाने के कारण भी निकायों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति कम रही एवं उन निकायों में आवंटित राशि में से अवशेष राशि उपलब्ध है। अतः विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों की वास्तविक स्थिति ज्ञात कर अवशेष राशि के उपयोग की पहल करनी चाहिये।

2.3.4 परिशिष्ट–II में निकाय अनुसार स्वीकृत कार्यो की भौतिक प्रगति के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि तीन निकायो चौमू, जयपुर एवं जोधपुर में विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार आवंटित राशि में इन निकायो में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये तथा इन निकायो द्वारा आवंटित राशि मे से कोई राशि व्यय भी नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि विभाग को लम्बी समयावधि के पश्चात् भी तीन निकायों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्राप्त नहीं हुई है। अतः विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार कर समस्त निकायों से योजनान्तर्गत आवंटित राशि मे से व्यय की गयी राशि एवं स्वीकृत कार्यो की वस्तुस्थिति प्राप्त कर व्यय राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिए तथा जिन निकायों में आवंटित राशि के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नही करवाये गये है तथा जिन निकायों में कार्य पूर्ण होने के उपरान्त राशि अवशेष है, उस राशि को प्राप्त कर उसके उपयोग करने की कार्य योजना भी तैयार की जानी चाहिए।

2.4.0 **उपयोगिता प्रमाण–पत्र** :

2.4.1 योजनान्तर्गत राज्य के स्थानीय निकाय विभाग द्वारा वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक के वित्तिय वर्षो में आवंटित की गई राशि में से व्यय की गई राशि के वर्षवार प्राप्त किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि की स्थिति का इकजाई विवरण नीचे दी गई सारणी में उपदर्शित किया गया है।

सारणी संख्या–4
वर्षवार आवंटित राशि एवं व्यय राशि मे से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि का विवरण

(राशि रूपये लाखों में)

वर्ष	आवंटित राशि	व्यय राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि	आवंटित राशि से उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि का प्रतिशत	व्यय राशि से उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि का प्रतिशत
2005–06	990.00	977.01	925.30	93.47	94.71
2006–07	550.00	287.69	261.95	47.63	91.05
2007–08	1000.00	651.07	630.58	63.06	96.85
योग	**2540.00**	**1915.77**	**1817.83**	**71.57**	**94.89**

2.4.2 उपरोक्त सारणी में अंकित संमकों से ज्ञात होता है कि वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में आवंटित राशि से क्रमशः 93.47, 47.63 एवं 63.06 प्रतिशत राशि (तीनों वर्षो में 71.57 प्रतिशत) तथा व्यय की गयी राशि से क्रमशः 94.71, 91.05 एवं 96.85 प्रतिशत राशि (तीनों वर्षो में 94.89 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग द्वारा प्राप्त किये गये। इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में आवंटित राशि में व्यय की गयी राशि के 94.89 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये गये। इसके साथ ही 2005–06 में आवंटित राशि के विपरीत 93.47 प्रतिशत राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये। वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में आवंटित राशि के विपरीत 47.63 एवं 63.06 प्रतिशत राशि के ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये। इससे स्पष्ट है इन दोनों वर्षो में आवंटित राशि योजनान्तर्गत कार्यो में व्यय नहीं की गयी है। अतः ऐसी निकायों से जिनमें आवंटित राशि अवशेष है उनसे व्यय राशि का पूर्ण विवरण प्राप्त किया जावे तथा यदि निकायो में व्यय किये जाने की सम्भावना नहीं हो तो उनसे राशि प्राप्त कर उस राशि के उपयोग करने हेतु समीक्षा कर समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जावे जिससे अवशेष राशि का उपयोग किया जा सके। राशि का आवंटन स्थानीय निकायों की कार्य योजना के आधार पर आवंटन किया जाना चाहिये ताकि आवंटित राशि का व्यय होना सुनिश्चित हो सके।

2.5.0 चयनित स्थानीय शहरी निकायों की प्रगति :

2.5.1 विरासत संरक्षण एवं विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में राज्य के 31 चयनित पुरा महत्व के स्थानीय शहरी निकायों में राशि आवंटित की गयी। योजना के मूल्यांकन अध्ययन हेतु चयनित स्थानीय शहरी निकायों डीग, झालावाड़, जैसलमेंर तथा पुष्कर की विभाग से प्राप्त वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्न प्रकार हैः–

2.6.0 **चयनित निकायों की वित्तीय प्रगति :**

2.6.1 चयनित शहरी निकायों से योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक के वित्तीय वर्षो में आवंटित/स्वीकृत एवं व्यय राशि की वित्तीय प्रगति की निकायवार सूचनाओं का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :–

सारणी संख्या –5

चयनित निकायों में तीन वर्षो में आवंटित राशि की इकजाई वित्तीय प्रगति

(राशि रूपये लाखों में)

क्र. सं.	**चयनित स्थानीय शहरी निकाय**	**आवंटित राशि**	**कार्यो की स्वीकृत राशि**	**व्यय राशि**	**प्रतिशत**
1	डीग	167.00	167.00	163.94	98.16
2	झालावाड़	162.00	162.00	143.68	88.69
3	जैसलमेंर	43.00	43.00	41.31	96.07
4	पुष्कर	24.00	24.00	22.47	93.62
	योग	**396.00**	**396.00**	**371.40**	**93.78**

नोटः– व्यय राशि का प्रतिशत कार्यो की स्वीकृत राशि से लिया गया है।

2.6.2 उपरोक्त सारणी की इकजाई वित्तीय प्रगति के अवलोकन से जानकारी मिलती है कि :–

(i) योजना अन्तर्गत वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक के वित्तीय वर्षो में योजनान्तर्गत सर्वाधिक 167.00 लाख रूपये की राशि डीग शहरी निकाय को आवंटित की गई जबकि झालावाड़ निकाय को 162.00 लाख रूपये, जैसलमेंर निकाय को 43.00 लाख रूपये तथा पुष्कर शहरी निकाय को 24.00 लाख रूपये की राशि आंवटित की गई। इस प्रकार उक्त वित्तीय वर्षो में चारों चयनित शहरी निकायों को कुल 396.00 लाख रूपये की राशि योजनान्तर्गत आंवटित की गई है। अतः उक्त चयनित निकायों को अलग–अलग राशि आवंटित की गई है।

(ii) समस्त चयनित निकायों में आवंटित राशि के अनुरूप ही योजनान्तर्गत कार्यो की स्वीकृतियाँ जारी की गयी।

(iii) चयनित शहरी निकायों में डीग स्थानीय निकाय में 167.00 लाख रूपये की स्वीकृत राशि के विपरीत 163.94(98.16 प्रतिशत) लाख रूपये, झालावाड़ निकाय में 162.00 लाख रूपये की स्वीकृत राशि के विपरीत 143.68 (88.69 प्रतिशत) लाख रूपये, जैसलमेंर निकाय में 43.00 लाख रूपये की स्वीकृत राशि के विपरीत 41.31(96.07 प्रतिशत) लाख रूपये तथा पुष्कर निकाय में 24.00 लाख रूपये की स्वीकृत राशि के विरूद्ध 22.47(93.62 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि व्यय की गयी। इस प्रकार उपरोक्त चारो चयनित शहरी निकायो में कुल 396.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई, जिसके विरूद्ध 371.40(93.78 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि व्यय की गयी।

निष्कर्षतः चयनित निकायों में स्वीकृत कार्यों के विपरीत व्यय की स्थिति संतोषजनक प्रतीत होती है।

2.7.0 **चयनित शहरी निकायो की वर्षवार आवंटित/स्वीकृत राशि की वित्तीय प्रगतिः**

2.7.1 योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में आवंटित राशि में स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं अवशेष राशि का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया जा रहा है:–

सारणी संख्या–6

वर्षवार आवंटित राशि में से स्वीकृत राशि व व्यय राशि का विवरण

(राशि रूपये लाखों में)

वर्ष	मद विवरण	चयनित निकायो की स्वीकृत एवं व्यय राशि				
		डीग	झालावाड़	जैसलमेर	पुष्कर	योग
2005–06	स्वीकृत राशि	67.00	77.00	28.00	24.00	196.00
	व्यय राशि	67.00	74.67	27.46	22.47	191.60
	अवशेष राशि	–	2.33	0.54	1.53	4.40
2006–07	स्वीकृत राशि	25.00	25.00	15.00	–	65.00
	व्यय राशि	24.93	26.34	13.85	–	65.12
	अवशेष राशि	0.07	(–)1.34	1.15	–	(–)0.12
2007–08	स्वीकृत राशि	75.00	60.00	–	–	135.00
	व्यय राशि	72.01	42.67	–	–	114.68
	अवशेष राशि	2.99	17.33	–	–	20.32
योग	स्वीकृत राशि	167.00	162.00	43.00	24.00	396.00
	व्यय राशि	163.94	143.68	41.31	22.47	371.40
	अवशेष राशि	3.06	18.32	1.69	1.53	24.60

2.7.2 उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि :–

(i) योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 में आवंटित राशि में से चयनित चारों निकायो द्वारा 196.00 लाख रूपये की स्वीकृतियाँ जारी की गयी, जिसमें से 191.60 लाख रूपये व्यय किये गये तथा 4.40 लाख रूपये निकायो के पास अवशेष थे। जिनमें से झालावाड़ निकाय में 2.33 लाख रूपये, जैसलमेर में 0.54 लाख रूपये एवं पुष्कर में 1.53 लाख रूपये अवशेष रहे।

(ii) वर्ष 2006–07 में आवंटित राशि में स्वीकृत राशि 65.00 लाख रूपये के विपरीत 65.12 लाख रूपये व्यय किये गये अर्थात् स्वीकृत राशि से 0.12 लाख रूपये ज्यादा व्यय किये गये। डीग एवं जैसलमेर में क्रमशः 0.07 एवं 1.15 लाख रूपये अवशेष थे तथा झालावाड़ में आवंटित राशि से 1.34 लाख रूपये ज्यादा व्यय किये, इस निकाय में वर्ष 2005–06 की अवशेष राशि 2.33 लाख रूपये में से व्यय किये गये।

(iii) इसी प्रकार वर्ष 2007–08 में डीग एवं झालावाड़ निकाय में आवंटित राशि में से स्वीकृत राशि क्रमशः 75.00 एवं 60.00 लाख रूपये में क्रमशः 72.01 एवं 42.47 लाख रूपये व्यय किये गये तथा इन निकायों में क्रमशः 2.99 एवं 17.33 लाख रूपये की राशि अवशेष थी।

(iv) इस प्रकार तीनो वर्षो में चयनित निकायो ने आवंटित राशि की स्वीकृत राशि 396.00 लाख रूपये के विपरित 371.40 (93.79 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये तथा इन निकायो के पास 24.60 (6.21 प्रतिशत) लाख रूपये अवशेष थे, जिनमें से 18.32 लाख रूपये झालावाड़, 3.06 लाख रूपये डीग, 1.69 लाख रूपये जैसलमेर एवं 1.53 लाख रूपये पुष्कर निकाय के पास अवशेष थे। इससे स्पष्ट है कि योजना में प्रगति समीक्षा के अभाव में लम्बी अवधि से निकायों द्वारा राशि का उपयोग नहीं किया गया। अतः विभाग द्वारा निकायों के पास रही अवशेष राशि की वास्तविक प्रगति की जानकारी कर राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जावे एवं शेष अवशेष राशि निकायों से वापिस प्राप्त कर उसका योजनान्तर्गत उपयोग किया जाना चाहिए।

2.8.0 चयनित स्थानीय निकायों की भौतिक प्रगति :

2.8.1 योजनान्तर्गत अध्ययन हेतु चयनित स्थानीय निकायो यथा–डीग, झालावाड़, जैसलमेर एवं पुष्कर शहरी स्थानीय निकायों की वर्ष 2005–06 से वर्ष 2008–09 तक के वर्षों की विभाग से प्राप्त सूचना की इकजाई भौतिक प्रगति को निम्न सारणी में दर्शाया गया है :–

सारणी संख्या –7

चयनित निकायों की वर्ष 2005–06 से 2008–09 तक के वर्षों की इकजाई भौतिक प्रगति

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित शहरी निकाय	स्वीकृत कार्य	प्रारम्भ करवाये गये कार्य	कार्यो की प्रगति(सर्वेक्षण दिनांक को)		
				पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य (प्रगति पर)	प्रारंभ नही / निरस्त किये गये कार्य
1	डीग	23	23 (100.00)	23 (100.00)	–	–
2	झालावाड़	27	26 (96.30)	23 (85.19)	3 (11.11)	1 (3.70)
3	जैसलमेंर	10	10 (100.00)	10 (100.00)	–	–
4	पुष्कर	11	11 (100.00)	11 (100.00)	–	–
	योग	71	70 (98.59)	67 (94.36)	3 (4.23)	1 (1.41)

( ) में प्रतिशत दिया गया है जो स्वीकृत कार्यो की संख्या से निकाला गया है।

2.8.2 उपरोक्त संदर्भित वर्षो की इकजाई भौतिक प्रगति की सारणी का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि, उपरोक्त चयनित शहरी निकायो में कुल 71 कार्य स्वीकृत किये गये जिनके विपरीत 67 (94.36 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये, 3 (4.23 प्रतिशत) कार्य अपूर्ण / प्रगति पर थे जबकि शेष 1 (1.41 प्रतिशत) कार्य निरस्त कर दिये गया। कार्यों की स्वीकृति संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक 27 कार्य झालावाड़ स्थानीय निकाय में, डीग स्थानीय निकाय में 23 एवं जैसलमेर एवं पुष्कर स्थानीय निकायों में क्रमशः 11 एवं 10 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

2.8.3 योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में आवंटित राशि से स्वीकृत कार्यों की सर्वेक्षण दिनांक को भौतिक प्रगति का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है:–

सारणी संख्या –8
चयनित स्थानीय शहरी निकायों की वर्षवार स्वीकृत कार्यों की भौतिक प्रगति

(संख्या)

क्र. सं.	वर्ष	स्वीकृत कार्यो की संख्या	पूर्ण कार्यो की संख्या	अपूर्ण कार्यो की संख्या	प्रारम्भ नहीं/ निरस्त किये गये कार्यो की संख्या
1	2005–06	46	46	–	–
2	2006–07	13	13	–	–
3	2007–08	12	8	3	1
	योग	**71**	**67**	**3**	**1**

2.8.4 उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

वर्ष 2005–06 में चयनित निकायों को आवंटित राशि से कुल 46 कार्य स्वीकृत किये गये जिनके विपरीत समस्त 46 कार्य पूर्ण कर लिये गये। वर्ष 2006–07 में चयनित स्थानीय निकायों में कुल 13 कार्य स्वीकृत हुये एवं इनके विपरीत शत् प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गयी। वर्ष 2007–08 में चयनित निकायों में कुल 12 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई जिसके विपरीत 8 (66.67 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये, 3(25.00 प्रतिशत) कार्य अपूर्ण/प्रगति पर थे तथा 1(8.33 प्रतिशत) कार्य भू–स्वामित्व विवाद के कारण निरस्त किया गया।

2.9 **चयनित निकायों द्वारा विभाग को भिजवाये गये उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र** :

2.9.1 योजनान्तर्गत अध्ययन हेतु चयनित निकायों द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यों के वर्षवार आवंटित राशि/स्वीकृत राशि के विभाग को प्राप्त हुये उपयोगिता /पूर्णता प्रमाण पत्रों का इकजाई स्थिति विवरण निम्न सारिणी में दिया गया है :–

सारणी संख्या –9
वर्षवार आवंटित राशि में से उपयोगिता प्रमाण–पत्र राशि का विवरण

(राशि रूपये लाखों में)

वर्ष	कुल स्वीकृत राशि रूपये लाखों मे	कुल व्यय राशि रूपये लाखो में	उपयोगिता प्रमाण–पत्र	पूर्णता प्रमाण–पत्र(संख्या)		
			राशि जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाये गये राशि लाखो में	कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्यो की संख्या	भिजवाये गये कार्यो के पूर्णता प्रमाण पत्र
2005–06	196.00	191.60	187.32	46	46	46
2006–07	65.00	65.12	62.89	13	13	13
2007–08	135.00	114.68	72.32	12	8	2
योग	396.00	371.40	322.53	71	67	61

2.9.2 उपरोक्त सारिणी में दिये गये समंको से स्पष्ट होता है कि चयनित नगरीय निकायों में आवंटित राशि 396.00 लाख रूपये में से 371.40 (93.79 प्रतिशत)लाख रूपये व्यय कर राशि 322.53(81.45 प्रतिशत)लाख रूपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये। तीनों वर्षो में योजनान्तर्गत 371.40 लाख रूपये व्यय की गई राशि में से 322.53 लाख रूपयों (86.84 प्रतिशत) की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाये गये। इसी प्रकार वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक वित्तीय वर्षो में कुल स्वीकृत 71 कार्यो में से 67 (94.37 प्रतिशत)कार्य पूर्ण किये गये तथा 61(85.92 प्रतिशत)कार्यो के पूर्णता प्रमाण पत्र भिजवाये गये। झालावाड़ निकाय द्वारा वर्ष 2007–08 में आवंटित राशि में पूर्ण किये गये 6 कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं भिजवाया गया। अतः विभाग द्वारा व्यय की गयी राशि का उपयेागिता प्रमाण पत्र एवं पूर्ण किये गये कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र यथा समय प्राप्त करने की समुचित प्रबोधन व्यवस्था की जानी चाहिये।

2.10 स्वीकृत कार्यो की कार्यकारी एजेन्सी / निगरानी एवं रखरखाव :

2.10.1 चयनित शहरी निकायें के कार्यकारियों ने अवगत करवाया है कि स्वीकृत कार्यो को चयनित नगरपालिकाओ द्वारा ही क्रियान्वित करवाया जाता है एवं अधिकांश कार्य ठेके के माध्यम से करवाये जाते है तथा निर्मित कार्यो का रखरखाव एवं निगरानी भी चयनित नगरपालिकाओ द्वारा ही की जाती है।

————

अध्याय तृतीय

अध्ययन परिणाम

3.0 प्रतिदर्श विवरणः

3.1 विरासत संरक्षण विकास योजना में विरासत महत्व के चिन्हित स्मारकों के विकास एवं उसके इर्द गिर्द नागरिक सुविधाओं को सृजित, विकसित करने हेतु नगर निकायों द्वारा कार्य सम्पादित किये जाते है। उक्त योजना के मूल्यांकन अध्ययन के रूपांकन के अनुसार अध्ययन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति को अपनाते हुये 50 प्रतिशत सम्भागों का चयन कर उनमें वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक योजनान्तर्गत अधिकतम स्वीकृत कार्यों वाले 4 शहरी निकायों यथा डीग, झालावाड़, जैसलमेर एवं पुष्कर स्थानीय नगर निकायों का चयन किया गया। चयनित प्रत्येक नगर निकायों में वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक में आवंटित राशि में योजनान्तर्गत करवाये गये/किये जाने वाले कार्यों में से प्रत्येक श्रेणी के 50 प्रतिशत कार्य अध्ययन हेतु चयनित किये गये। अध्ययन हेतु उक्त चयनित नगर निकायों से विभिन्न श्रेणी के कुल स्वीकृत 71 कार्यों में से 38 कार्यों का चयन कर अध्ययन का क्षेत्रीय कार्य सम्पादित किया गया।

3.1.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित किये गये 38 कार्यों का अवलोकन कर नगर निकायों के कार्यकारियों/स्थानीय व्यक्तियों के समूहों से साक्षात्कार कर उनसे योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श कर वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े 24 सरकारी/गैर सरकारी जनप्रतिनिधियों एवं योजना में रूचि रखने वाले व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर योजना के विभिन्न पहलुओ पर उनके विचार/ प्रतिक्रिया प्राप्त कर उनसे कार्यकारी अनुसूचियां भरी गई साथ ही क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा अध्ययन हेतु चयनित 38 कार्यों का भौतिक सत्यापन/अवलोकन कर अनुभूत किये गये बिन्दुओं को भी प्रतिवेदन में सम्मलित किया गया।

इस प्रकार, प्रस्तुत अध्ययन में चयनित 4 स्थानीय शहरी निकायों की विभाग से प्राप्त प्रलेखीय सूचनाओं, 38 कार्य अनुसूचियों में कार्यों की भौतिक स्थिति, गुणवत्ता, उपयोगिता, निगरानी एवं कार्यों के रखरखाव इत्यादि की प्राप्त जानकारी एवं 24 सरकारी/ गैर सरकारी अधिकारियों/ कार्यकारियों से भरी गई अनुसूचियों के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा अवलोकित बिन्दुओं को सम्मलित कर उक्त आधार पर प्रतिवेदन अभिलिखित किया गया है, जिनका मदवार विवरण निम्नानुसार हैः–

3.2.0 **चयनित कार्यों का प्रकार :**

3.2.1 :अध्ययन हेतु चयनित 4 स्थानीय शहरी निकायों में चयनित कुल 38 कार्यों को कार्य की प्रकृति के अनुसार निम्नांकित भागों में बांटकर नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है:–

सारणी संख्या–10

क्र. सं	चयनित कार्यें के प्रकार/वर्गीकरण	कुल चयनित कार्य	चयनित निकायों में चयनित कार्यों की संख्या			
			डीग	झालावाड़	जैसलमेर	पुष्कर
1	कियोस्क व बैंचेज/चौकी का निर्माण	2	–	–	1	1
2	सौन्दर्यीकरण/ परिसर विकास कार्य	5	–	3	2	–
3	रोशनी/हाईमास्क/फ्लड लाईट/ स्ट्रीट लाईट	5	–	3	1	1
4	पार्क विकास/ विस्तार	2	–	2	–	–
5	सड़क निर्माण/ डामरीकरण/ रिपेयरिंग / कार्पेटिंग कार्य	10	5	2	1	2
6	फुटपाथ/डिवाइडर निर्माण कार्य	1	–	–	1	–
7	सुलभ शौचालय	3	1	2	–	–
8	विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पेशाबघर निर्माण कार्य	2	1	–	–	1
9	कचरा निस्तारण करने हेतु ट्रेक्टर, ट्राली, कचरा पात्र एवं उनके उपकरण (सौलिड वेस्ट कार्य)	3	1	1	–	1
10	गार्डन में झूले चकरी एवं अन्य मनोरंजन के साधन/उपकरण	1	–	1	–	–
11	नाली निर्माण कार्य	3	2	–	–	1
12	बस स्टैण्ड परिसर का निर्माण/ नवीनीकरण	1	1	–	–	–
	कुल योग	**38**	**11**	**14**	**6**	**7**
	प्रतिशत		**28.95**	**36.84**	**15.79**	**18.42**

3.2.1.1 उपरोक्त सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि कुल चयनित 38 कार्यों में से सर्वाधिक 10(26.31 प्रतिशत) कार्य सड़क निर्माण सम्बन्धी कार्य है। इसके अतिरिक्त 5 (13.16 प्रतिशत) कार्य विभिन्न स्थानों/ आवागमन के मार्गों पर रोशनी जिनमें हाईमास्क/ फ्लड लाईटें/ स्ट्रीट लाईटें आदि एवं 5(13.16 प्रतिशत) कार्य सौन्दर्यीकरण/परिसर विकास के कार्य है। 2 (5.26 प्रतिशत) कार्य कियोस्क , बैंचेज व चौकी निर्माण के, 2 (5.26 प्रतिशत) कार्य पार्कों का विकास/ विस्तार व 1 (2.63 प्रतिशत) कार्य पार्क/ गार्डन में झूले चकरी आदि, 1(2.63 प्रतिशत) कार्य फुटपाथ/ डिवाईडर के, 3 (7.90 प्रतिशत) कार्य सुलभ शौचालय के निर्माण, 2 (5.26 प्रतिशत) कार्य पेशाब घर के निर्माण, 3 (7.90 प्रतिशत) कार्य कचरा निस्तारण/सोलिड वेस्ट हेतु ट्रेक्टर, ट्राली कचरा पात्रों की खरीद/ क्रय एवं 3 (7.90 प्रतिशत) कार्य नाली निर्माण के तथा 1(2.63 प्रतिशत) कार्य बस स्टैण्ड परिसर के निर्माण/ नवीनीकरण के कार्य है। चयनित नगरपालिका डीग में सबसे अधिक 5 कार्य सड़क निर्माण के थे तथा नगरपालिका झालावाड़ में 3–3 कार्य क्रमशः परिसर के

सौन्दर्यीकरण/परिसर विकास व रोशनी (हाईमास्क, फ्लड लाईटें व स्ट्रीट लाईटों) के थे। कचरा निस्तारण/सौलिड वेस्ट हेतु कचरा निस्तारण/सौलिड वेस्ट के 1–1 कार्य चयनित जैसलमेर नगरपालिका को छोड़कर अन्य सभी चयनित नगरपालिकाओं में किये गये। साथ ही साफ सफाई से जुड़ी नाली निर्माण के कार्यों में 2 कार्य नगरपालिका डीग में एवं 1 नाली निर्माण का कार्य पुष्कर नगरपालिका में किया गया।

3.2.2 क्षेत्रीय कार्य के दौरान 24 कार्यकारी उत्तरदाताओं से यह जानकारी करने पर कि योजनान्तर्गत उनके क्षेत्र में किस प्रकार के कार्य चल रहे है, तत्सम्बन्धी प्रत्युत्तर में 15(62.50 प्रतिशत) ने स्वच्छता/ ठोस कचरा प्रबन्धन, रोशनी, रोड लाईटें सौन्दर्यकरण, पार्क निर्माण, विस्तार सुलभ शौचालय/मूत्रालय निर्माण कार्य एवं 7(29.17 प्रतिशत) ने नाली निर्माण/खरंजा निर्माण, जल निकासी एवं बस स्टैन्ड का निर्माण, प्राचीन मन्दिर की रिपेयरिंग एवं नवीनीकरण के कार्य होना तथा 1(4.16 प्रतिशत) ने कुआं बावड़ी के मरम्मत कार्य व 1(4.16 प्रतिशत) ने विरासत महत्व के स्मारकों के संरक्षण, मरम्मत व नागरिक सुविधाओं से सम्बन्धित कार्य होने की जानकारी दी है।

3.3 कार्यों का स्वीकृति वर्षः

अध्ययन हेतु चयनित किये गये 38 कार्यों शहरी निकायवार स्वीकृत वर्ष का विवरण निम्न सारणी में दिया गया हैः

सारणी संख्या–11

क्र. सं	चयनित स्थानीय शहरी निकाय का नाम	वर्षवार स्वीकृत कार्यों की संख्या				
		2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	योग
1	डीग	6	2	3	–	11
2	झालावाड़	6	3	–	5	14
3	जैसलमेर	4	1	1	–	6
4	पुष्कर	4	3	–	–	7
	योग	**20 (52.63)**	**9 (23.68)**	**4 (10.53)**	**5 (13.16)**	**38**

उपरोक्त सारणी में अंकित समंकों के विवरण के अनुसार चयनित 38 कार्यो में से 20(52.63 प्रतिशत) कार्यों की स्वीकृति वर्ष 2005–06 मैं, वर्ष 2006–07 में 9(23.68 प्रतिशत) कार्यों, वर्ष 2007–08 में 4 (10.53 प्रतिशत) कार्यों तथा वर्ष 2008–09 में 5(13.16 प्रतिशत) कार्यों की स्वीकृति दी गई। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक स्वीकृतियां वर्ष 2005–06 में की गई है। इसके पश्चात् के वर्षों में कार्यों के स्वीकृतियों की प्रगति धीमी रही है। योजनान्तर्गत निकायों को वर्ष 2007–08 तक ही राशि उपलब्ध कराई गई थी। झालावाड़ जिले में वर्ष 2007–08 में उपलब्ध करवाई गई राशि की स्वीकृतियां वर्ष 2008–09 में जारी की गयी।

3.3.0 कार्यो की स्वीकृति का माध्यमः

3.3.1 योजनान्तर्गत कार्यों की स्वीकृति जिला स्तरीय गठित कमेटी के द्वारा निकाय में गठित हैरीटेज प्रकोष्ठ द्वारा सूचिबद्ध किये गये विरासत भवनों, स्थलों एवं प्रसिद्ध/विशिष्ट स्थलों के कार्यों सम्बन्धी तैयार किये गये मास्टर प्लान से किये जाते है। अध्ययन हेतु चयनित शतप्रतिशत कार्यों की स्वीकृतियां जिला स्तरीय गठित समिति के द्वारा किया जाना अवगत करवाया है। इस सम्बन्ध में 24 (शतप्रतिशत) कार्यकारियों ने भी चयनित कार्यों की स्वीकृतियां जिला स्तरीय समिति के माध्यम से किये जाने की जानकारी दी ।

3.3.2 चयनित चारों निकायों में योजना के प्रावधान अनुसार हैरीटेज प्रकोष्ठ का गठन किया गया तथा 3 निकायों क्रमशः डीग,पुष्कर एवं झालावाड़ में हैरीटेज प्रकोष्ठ द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया जाना एवं उनमें से ही जिला स्तरीय कमेटी द्वारा कार्यों की स्वीकृति जारी की गयी। जैसलमेर निकाय में मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया। इस निकाय में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित हैरीटेज प्रकोष्ठ एवं उसके सदस्यगणों द्वारा कार्य की स्वीकृति जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से करवाई गयी।

3.3.3 क्षेत्रीय कार्य के दौरान अध्ययन दल द्वारा कार्यकारियों से यह जानकारी करने पर कि क्या कार्यों की स्वीकृति निकायों द्वारा तैयार मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यों में से ही दी जाती है या नहीं तत्सम्बन्ध में 18 (75.00 प्रतिशत) कार्यकारियों ने कार्यों की स्वीकृतियां निकायों द्वारा तैयार मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यों में से किया जाना एवं 6 (25.00 प्रतिशत) जैसलमेर निकाय के कार्यकारियों ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित हैरीटेज प्रकोष्ठ एवं सदस्यगणों द्वारा आवश्यकतानुसार कार्यों की स्वीकृति जिला स्तरीय कमेटी द्वारा करवाया जाना अवगत करवाया।

3.4.0 कार्यकारी एजेन्सीः

चयनित सभी 38 (शतप्रतिशत) कार्यों की कार्यकारी ऐजेन्सी नगर निकाय (नगर पालिका) है। अतः स्पष्ट है कि, कार्यों का क्रियान्वयन सम्बन्धित नगरपालिका द्वारा किया गया।

3.5.0 कार्यों की आवश्यकता/चयनः

3.5.1 सभी 38 चयनित किये गये कार्यों का चयन उस स्थान/क्षेत्र में कार्य की आवश्यकता एवं उनकी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये जिला स्तरीय समिति द्वारा किया गया है। कार्यवार आवश्यकता का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र.सं	चयनित कार्यों के प्रकार/ नाम	आवश्यकता /औचित्य के बिन्दु
1	सुलभ शौचालय/ पेशाबघर के निर्माण कार्य	पर्यटकों एवं नागरिकों को आवश्यक नागरिक सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु सार्वजनिक स्थानों पर इनका निर्माण आवश्यक था।
2	कचरा पात्र/ ट्रेक्टर, ट्राली आदि एवं साफ सफाई के उपकरण के द्वारा गन्दगी को दूर करने हेतु उपकरण क्रय करना।	सार्वजनिक स्थलों,स्मारकों,पर्यटक स्थलों के आसपास तथा नगर में साफ सफाई/स्वच्छता (सौलिड वेस्ट कार्य) तथा गन्दगी को हटाने हेतु उपकरणों की आवश्यकता थी ताकि कचरा निस्तारण कार्य सुगमता से किया जा सके।
3	परिसर में सौन्दर्यीकरण विकास कार्यों के लिये रोशनी, बैन्चेज चौकी निर्माण के कार्य	पुरा महत्व के स्मारकों/पार्कों / पर्यटक स्थलों एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों पर उनका सौन्दर्यकरण, रोशनी, बैन्चेज, चौकी निर्माण आवश्यक थे ताकि उक्त स्थानों पर पर्यटकों/नागरिकों का आकर्षण बढ़े एवं स्थान का उपयोग नागरिकों एवं पर्यटकों के लिये हो तथा नगर के सौन्दर्य में वृद्धि होने के साथ–साथ वहां गन्दगी न हो।
4	सड़क निर्माण/ डामरीकरण कारपेटिंग एवं रिमलेटिंग कार्य। डिवाईडर/ फुटपाथ एवं नाली निर्माण कार्य	नागरिकों/ पर्यटकों के लिये आवागमन का रास्ता सुगम बनाने, कीचड़/ गन्दगी को रोकने एवं दूर करने हेतु उन कार्यों की आम रास्तों में आवश्यकता थी ताकि, आमजन को सुविधा मिल सके।
5	सार्वजनिक रोशनी रोडलाईट/ हाईमास्क/ फ्लडलाईटस	व्यस्त रास्तों में/ आम रास्तों, स्मारकों के आसपास नागरिकों की सुविधा हेतु रोशनी करने हेतु लाईटें लगाना आवश्यक था ताकि आवागमन में सुविधा मिले एवं नगर का सौन्दर्य भी बढ़े।
6	पार्कों के विकास / विस्तार के कार्य एवं पेयजल की व्यवस्था	पार्कों का विकास/विस्तार कर उनमें आमोद–प्रमोद एवं बच्चां के मनोरंजन हेतु झूले, चकरी तथा पेयजल की व्यवस्था हेतु टंकियां स्थापित करना ताकि बच्चों/ नागरिकों को वहां घूमने, बैठने तथा मनोरंजन की सुविधा मिल सके एवं पेयजल उपलब्ध हो सके।
7	बस स्टेन्ड परिसर का निर्माण/ विस्तार कार्य	आम नागरिकों/यात्रियों/पर्यटकों को आवागमन को सुविधायुक्त/साजसज्जा युक्त स्थान एवं नागरिक सुविधा उपलबध करवाने के साथ ही यात्रियों को परेशानी नहीं हो।

3.5.2 क्षेत्रीय कार्य के दौरान समस्त 24(शतप्रतिशत) सरकारी/ गैर सरकारी उत्तरदाताओं ने कार्यों एवं स्थान का चयन आवश्यकतानुसार एवं उपयुक्त स्थान पर होना अवगत करवाया। अतः योजनान्तर्गत चयनित शतप्रतिशत कार्यो का चयन वहां की आवश्यकता/परिस्थितियों के अनुसार किया गया।

3.6.0 कार्य निर्माण का माध्यमः

अध्ययन हेतु चयनित 38 कार्यों में से 36 (94.74 प्रतिशत) कार्य ठेके पर करवाये गये जबकि 1 कार्य (2.63 प्रतिशत) कार्यकारी विभाग (नगर पालिका) द्वारा एवं 1 (2.63 प्रतिशत) कार्य सुलभ इन्टरनेशनल संस्था द्वारा किया गया।

समस्त चयनित सरकारी/ गैर सरकारी उत्तरदाताओं से कार्यों के निर्माण के माध्यम सम्बन्धी जानकारी करने पर शतप्रतिशत उत्तरदाताओं ने कार्यों को कार्यकारी विभाग द्वारा ठेके पर करवाया जाना बताया। अतः स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत अधिकांश चयनित कार्यों का निर्माण कार्य ठेके पर करवाये गये।

3.7.0 **कार्यों की स्वीकृत एवं व्यय राशिः**

अध्ययन हेतु चयनित 38 कार्यों में से सर्वे दिनांक तक 34(89.47 प्रतिशत) कार्य पूर्ण हो चुके थे तथा 4(10.53 प्रतिशत) कार्य प्रगति पर थे। पूर्ण हुये 34 कार्यों की स्वीकृत राशि 181.34 लाख रूपये में से 169.67(93.54 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये तथा प्रगति वाले 4 कार्यों पर स्वीकृत राशि 85.02 लाख रूपये में से 62.06(73.00 प्रतिशत)लाख रूपये व्यय हो चुके थे एवं कार्य प्रगति पर थे। पूर्ण किये गये 34 कार्यों की जिलेवार एवं निकायवार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया हैः

सारणी संख्या–12

चयनित पूर्ण कार्यों की स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण

(रूपये लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित निकाय	कुल चयनित कार्यों की संख्या	पूर्ण हुये कार्यो की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि से व्यय राशि का प्रतिशत
1	भरतपुर	डीग	11	9	59.62	56.17	94.21
2	झालावाड़	झालावाड़	14	12	68.67	69.58	101.33
3	जैसलमेर	जैसलमेर	6	6	32.95	28.44	86.31
4	अजमेर	पुष्कर	7	7	20.04	15.48	77.25
		कुल योग	**38**	**34**	**181.38**	**169.67**	**93.54**

नोट– व्यय का प्रतिशत कुल स्वीकृत राशि से निकाला गया है।

3.7.1 उपरोक्त तालिका में दिये गये समंको को देखने से ज्ञात होता है कि –

i चयनित पूर्ण किये गये 34 कार्यों हेतु 181.38 लाख रूपये स्वीकृत किये गये। भरतपुर जिले की डीग स्थानीय निकाय में 9 कार्यों हेतु 59.62 लाख रूपये, झालावाड़ निकाय में 12 कार्यों हेतु 68.67 लाख रूपये, जैसलमेर निकाय में 6 कार्यों के लिये 32.95 लाख रूपये तथा अजमेर जिले की पुष्कर निकाय में 7 कार्यों के लिये 20.04 लाख रूपये प्रति कार्य स्वीकृत किये गये है।

ii चयनित शहरी निकायो में चयनित पूर्ण हुये 34 कार्यो के लिए स्वीकृत राशि 181.38 लाख रूपये में से 169.67 (93.54 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये है। चयिनत निकाय झालावाड़, डीग, जैसलमेर एवं पुष्कर में चयनित पूर्ण किये गये कार्यों की स्वीकृत राशि के विपरीत क्रमशः 101.33, 94.21, 86.31 एवं 77.25 प्रतिशत राशि व्यय की गयी। निकायों में पूर्ण हुये कार्यों का भुगतान वास्तव में हुये कार्यों की गणना के अनुसार किया गया। निकाय झालावाड़ एवं डीग में स्वीकृत राशि के लगभग ही व्यय किया गया। निकाय जैसलमेर एवं पुष्कर में स्वीकृत राशि से व्यय राशि का कम होने का मुख्य कारण किये गये कार्यों पर वास्तविक व्यय तकमीना राशि से कम होना रहा।

iii जो 4 कार्य प्रगति पर थे उनमें से स्वीकृत राशि से 73.00 प्रतिशत राशि का किये गये कार्यों के अनुसार भुगतान किया जा चुका था। शेष राशि कार्य पूर्ण होने पर अन्तिम भुगतान किया जावेगा।

3.7.2 योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि से व्यय राशि कम/अधिक होने के कार्यनुसार निम्न कारण बताये गये:

1 स्वीकृत कार्यों के साथ निर्माण सम्बन्धी अन्य कार्य नहीं करवाना।

2 प्रशासनिक स्तर पर कार्य बढ़ा दिये जाने/कार्य अधिक (work excess) हो जाने पर।

3 टेन्डर में प्रीमियम की दर कम/अधिक होना।

4 कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं होने पर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलो में से नियमानुसार राशि की कटौती करने के कारण।

5 अनुमानित तखमीने पर कार्य स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप राशि का कम अधिक होना।

6 कार्य की लागत के अनुसार ही कार्यों पर व्यय किये जाने के कारण ।

3.7.2 स्वीकृत राशि की समय पर उपलब्धता एवं पर्याप्तता :

3.7.2.1 अध्ययन के दौरान चयनित सरकारी/गैर सरकारी कार्यकारियों से यह जानकारी प्राप्त करने पर कि क्या स्वीकृत राशि समय पर उपलब्ध हो जाती है अथवा नहीं? तो समस्त (शतप्रतिशत) कार्यकारियों ने स्वीकृत राशि समय पर उपलबध होना अवगत करवाया। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या स्वीकृत राशि से स्वीकृत कार्य पूर्ण हो जाते है या नहीं? तत्सम्बन्धी प्रत्युत्तर में सभी (शतप्रतिशत) कार्यकारियों ने स्वीकृत राशि से स्वीकृत कार्य पूर्ण होना अवगत करवाया। अतः स्पष्ट है कि, स्वीकृत राशि समय पर पर्याप्त रूप से उपलब्ध करवायी गयी।

3.7.3 स्वीकृत राशि के वर्गीकरण अनुसार कार्यों की संख्याः–:

निकायवार स्वीकृत राशि का कार्यों की संख्या में वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है:

सारणी संख्या–13

निकायवार स्वीकृत राशि अनुसार कार्यों का विवरण

(कार्यों की संख्या)

क्र.सं	चयनित निकाय	कुल चयनित कार्य	स्वीकृत राशि का वर्गीकरण			
			2 लाख रूपये तक के कार्य	2 से 4 लाख रूपये तक के कार्य	4 से 6 लाख रूपये तक के कार्य	6 लाख रूपये से अधिक के कार्य
			कार्यों की संख्या	कार्यों की संख्या	कार्यों की संख्या	कार्यों की संख्या
1	डीग	11	–	3	2	6
2	झालावाड़	14	2	2	5	5
3	जैसलमेर	6	2	1	1	2
4	पुष्कर	7	2	4	1	–
	योग	**38**	**6**	**10**	**9**	**13**

उपरोक्त सारणी के विवरण से स्पष्ट है कि चयनित निकायों को स्वीकृत की गई राशि में से 6 कार्य 2.00 लाख रूपये तक के, 10 कार्य 2.00 से 4.00 लाख रूपये तक के एवं 9 कार्य 4.00 लाख रूपये 6.00 लाख रूपये तक के तथा 13 कार्य 6.00 लाख रूपये से अधिक की राशि के सम्पादित करवाये गये है। सारणी के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि झालावाड़ एवं डीग निकायों में सबसे अधिक (अर्थात 6.00 लाख रूपये से अधिक) राशि के कार्य सम्पादित करवाये गये।

3.8.0 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की राशि एवं समयावधिः

3.8.1 योजनान्तर्गत अध्ययन हेतु चयनित 38 कार्यों की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की राशि तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के मध्य समयावधि का ब्यौरा निम्न सारणी में दर्शाया गया हैः–

सारणी संख्या–14

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के मध्य समयावधि विवरण

क्र. स.	चयनित निकाय	कुल चयनित कार्य	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (रूपये लाख में)	वित्तीय स्वीकृति राशि (लाख रू. में)	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के मध्य समयावधि (कार्यों की संख्या)				
					15 दिवस	1 माह	2 माह	2माह से अधिक	प्रत्युत्तर नहीं दिया
1	डीग	11	128.63	128.63	10	–	–	1	–
2	झालावाड़	14	84.78	85.77	8	–	2	2	2
3	जैसलमेर	6	32.95	32.95	4	2	–	–	–
4	पुष्कर	7	20.04	20.04	6	–	–	–	1
	योग	**38**	**266.40**	**267.39**	**28**	**2**	**2**	**3**	**3**

उपरोक्त सारणी में दी गई सूचनाओं के अवलोकन से ज्ञात होता है किः

(i) चारों चयनित निकायों में कुल 266.40 लाख रूपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई जबकि वित्तीय स्वीकृतियां 267.39 लाख रूपये की जारी की गई है, उक्त अन्तर का कारण झालावाड़ स्थानीय निकाय को प्रशासनिक स्वीकृत राशि के विपरीत 0.98 लाख रूपये की अधिक वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

(ii) समस्त चयनित निकायों में कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के मध्य समय अन्तराल के विवरण को देखने से ज्ञात होता है कि कुल 38 चयनित कार्यों में से 28 (73.68 प्रतिशत) कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में 15 दिवस की अवधि, 2 (5.26 प्रतिशत) कार्यों में 1 माह की अवधि, 2(5.26 प्रतिशत) कार्यों में दो माह की अवधि, 3 (7.90 प्रतिशत) कार्यों पर 2 माह से अधिक का समय प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के मध्य रहा है तथा 3(7.90 प्रतिशत) कार्यों की अवधि का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अधिकांश कार्यों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की अवधि का समय 15 दिवस है।

3.8.2 समस्त चयनित सरकारी/गैर सरकारी उत्तरदाताओं से यह जाानकारी करने पर कि सामान्यतया कार्यों के प्रस्तावों को जिला स्तरीय समिति द्वारा कितने समय में स्वीकृत कर दिये जाते है? तत्सम्बन्धी जानकारी में 16(66.67 प्रतिशत) ने 1 माह में, 6 (25.00 प्रतिशत) ने 2 माह में तथा 2 (8.33 प्रतिशत) ने तीन माह की अवधि में स्वीकृत किया जाने की जानकारी उपलब्ध करवाई।

3.9.0 कार्य निर्माण की स्थितिः

चयनित निकायों में अध्ययन हेतु चयनित 38 कार्यों की भैतिक स्थिति की जानकारी भी की गई। सर्वे दिनांक तक कार्यों की भौतिक स्थिति की जानकारी का निकायवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या–15

सर्वे दिनांक को कार्य निर्माण की स्थितिः(संख्या में)

क्र. सं.	चयनित निकाय	कुल चयनित कार्यों की संख्या	क्या कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया?		सर्वे दिनांक को कार्य निर्माण की स्थिति	
			हॉ	नहीं	कार्य पूर्ण	कार्य प्रगति पर
1	डीग	11	11	–	9	2
2	झालावाड़	14	14	–	12	2
3	जैसलमेर	6	6	–	6	–
4	पुष्कर	7	7	–	7	–
	योग	**38**	**38**	–	**34 (89.47)**	**4 (10.53)**

उपरोक्त सारणी में दिये गये समंको के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सभी चयनित निकायों में चयनित शतप्रतिशत कार्यों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया दिया था। सर्वे दिनांक को कुल चयनित 38 कार्यों में से 34 (89.47 प्रतिशत) कार्य पूर्ण थे एवं 4 (10.53 प्रतिशत) कार्य निर्माणाधीन थे। वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में स्वीकृत 2 कार्य झालावाड़ निकाय में अस्पताल एवं ओल्ड ब्लाक के पीछे एक–एक सुलभ शौचालय के एवं वर्ष 2007–08 में स्वीकृत 2 कार्य भरतपुर जिले की डीग निंकाय में सार्वजनिक बस परिसर का निर्माण एवं दूसरा राजकीय चिकित्सालय से शहीद स्मारक तक सी–सी रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर था।

3.10.0 कार्यो को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि एवं पूर्ण किये जाने का समयः

3.10.1 चयनित निकायों में चयनित 38 कार्यों की स्वीकृति के पश्चात उनका निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। कार्यों को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि तथा पूर्ण होने तक की समयावधि का निकायवार विवरण का ब्यौरा निम्न तालिका में अंकित किया गया है।

कार्यों को पूर्ण करने की समयावधि
सारणी संख्या–16

(कार्यों की संख्या)

क्र. स.	चयनित निकाय	कुल चयनित कार्य	कार्य करने की निर्धारित अवधि						निर्माण कार्य पूर्ण होने का समय			
			1माह	2माह	3माह	4माह	6माह	6माह से अधिक	समय से पूर्व	समय पर	समय से अधिक	पूर्ण किये गये कार्यों का योग
1	डीग	11	–	9	–	–	–	2	–	9	–	9
2	झालावाड़	14	–	4	7	–	3	–	11	1	–	12
3	जैसलमेर	6	3	1	–	1	1	–	2	2	2	6
4	पुष्कर	7	6	–	–	1	–	–	–	7	–	7
	योग	**38**	9	14	7	2	4	2	13	19	2	34
	प्रतिशत		**23.68**	**36.85**	**18.42**	**5.26**	**10..53**	**5.26**	**38.24**	**55.88**	**5.88**	

3.10.2 उपरोक्त सारणी के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि के अन्तर्गत चयनित 38 कार्यों में से 9(23.68 प्रतिशत) कार्य एक माह की अवधि में, 14(36.85 प्रतिशत) 2 माह की अवधि में, 7(18.42 प्रतिशत) कार्य तीन माह की अवधि में, 2(5.26 प्रतिशत) कार्य 4 माह की अवधि, 4(10.53 प्रतिशत) 6 माह की अवधि में तथा 2 (5.26 प्रतिशत) कार्य 6 माह से अधिक की अवधि में पूर्ण किया जाना निर्धारित था।

3.10.2.1 चयनित 38 कार्यों में से 34 कार्य सर्वे दिनांक तक पूर्ण थे। इन 34 पूर्ण कार्यों में से 13 (38.24 प्रतिशत) कार्यों को समय से पूर्व अर्थात निर्धारित अवधि से पूर्व ही पूर्ण कर लिये गये एवं 19 (55.88 प्रतिशत) निर्धारित अवधि में अर्थात समय पर पूर्ण किये गये तथा 2 (5.88 प्रतिशत) कार्यों को निर्धारित समयावधि से अधिक समय में पूर्ण किया गया। जिन 4 कार्यों को पूर्ण होने में निर्धारित अवधि से अधिक समय लग रहा है, उसके कारणों की जानकारी करने पर, चयनित क्षेत्र में पर्यटक सीजन एवं मरू मेला होने के कारण फुटपाथ एवं डिवाईडर का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाना अवगत करवाया। वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्यों को मार्च के अन्त तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जावे ताकि कार्यों की तत्काल उपयोगिता हो सके।

चयनित 24 सरकारी/गैर सरकारी कार्यकारियों से यह जानकारी करने का प्रयास किया गया कि, कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात कितने माह में कार्य पूर्ण कर लिया जाता है? तत्सम्बन्धी जानकारी में 5(20.84 प्रतिशत) कार्यकारियों ने 1 माह में, 8(33.33 प्रतिशत) ने 2 माह में एवं 9(37.50 प्रतिशत) ने 6 माह में कार्य पूर्ण किये जाने से अवगत कराया है। शेष 2(8.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

निर्धारित समयावधि से अधिक समय लगने के कारणों की जानकारी करने पर 9(37.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने निम्न कारण बताये है:

1 **उच्च स्तर पर स्वीकृति में देरी होना।**
2 **निविदा प्रकिया में देरी लगाना।**
3 **स्थानीय कारण–जैसे मेले,त्यौहार,पर्यटक सीजन आदि के कारण।**

उपरोक्त समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि कुल चयनित 38 कार्यों में से 34 कार्यों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं कार्यों के निर्माण हेतु निर्धारित अवधि के दौरान पूर्ण किये गये 34 कार्यों में से 32(94.17 प्रतिशत) कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण कर लिये गये।

3.11.0 उपयोगिता प्रमाण पत्रः

3.11.1 चयनित निकायों में अध्ययन हेतु चयनित कुल 38 कार्यों में से 31(81.58 प्रतिशत) कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं 30(78.95 प्रतिशत) कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र सर्वे दिनांक तक भिजवा दिये गये तथा 7(18.42 प्रतिशत) कार्यों की उपयोगिता व 8(21.50) प्रतिशत कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं भिजवाये गये। चयनित निकायवार विवरण निम्न सारणी में दिये गये हैः

सारणी संख्या–17

व्यय की गयी राशि के भिजवाये गये उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रों का निकायवार विवरण

(संख्या)

क्र.सं.	चयनित निकाय	कुल चयनित कार्य	प्रेषित उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रों की स्थिति			
			क्या उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवा दिये गये?		**क्या पूर्णता प्रमाण पत्र भिजवा दिये गये?**	
			हॉ	**नहीं**	**हॉ**	**नहीं**
1	डीग	11	9	2	9	2
2	झालावाड़	14	9	5	8	6
3	जैसलमेर	6	6	–	6	–
4	पुष्कर	7	7	–	7	–
	योग	**38**	**31**	**7**	**30**	**8**
	प्रतिशत		**(81.58)**	**(18.42)**	**(78.95)**	**(21.05)**

3.11.2 उपरोक्त सारणी में दी गई स्थिति के अनुसार चयनित 4 निकायों में से 2 निकायों क्रमशः जैसलमेर एवं पुष्कर निकाय द्वारा व्यय की गई राशि के सभी (शतप्रतिशत) कार्यों के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र भिजवा दिये गये जबकि डीग एवं झालावाड़ निकायों द्वारा क्रमशः 2 एवं 5 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं 2 व 6 कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं भिजवाये गये है जिनमें 4 कार्य निर्माणाधीन थे तथा शेष चार कार्यों के पूर्णता पत्र लेखा संधारण की दृष्टि से शीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

3.11.2.1 जिन कार्यों के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं भिजवाये है उनके नहीं भिजवाने के कारणों की जानकारी करने पर इसके निम्न कारण बतलाये गये हैः–

1 चार कार्यों का निर्माणाधीन/निर्माण कार्य का अपूर्ण होना
2 दो कार्यों का ठेकेदारों द्वारा बिल/वाउचर्स/लेख प्रस्तुत नहीं करने/ लेखा अपूर्ण रहने के कारण
3 दो कार्य अभी पूर्ण हुए है। प्रमाण पत्र प्रक्रियाधीन है।

3.11.2.2 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित सरकारी/गैर सरकारी कार्यकारियों से व्यय की गयी राशि के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र यथा समय भिजवा दिये जाते है या नहीं? तत्सम्बन्धी प्रत्युत्तर में 23(95.83 प्रतिशत) कार्यकारियेां ने दोनो ही प्रकार के प्रमाण पत्र यथासमय भिजवाने की जानकारी उपलबध करवायी है। 1(4.17 प्रतितशत) उत्तरदाता ने तत्सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया है।

3.12.0 कार्य की भौतिक स्थितिः

अध्ययन हेतु चयनित किये गये 38 कार्यों की सर्वे दिनांक को भौतिक स्थिति का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या–18
योजनान्तर्गत चयनित कार्यों की भौतिक स्थिति

(संख्या में)

क्र. सं	चयनित निकाय	कुल चयनित कार्य	सर्वे दिनांक को कार्यों की भौतिक स्थिति		क्या पूर्ण किये गये कार्य स्वीकृति के अनुसार निर्मित किये गये?	
			पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	हॉ	नहीं
1	डीग	11	9	2	9	–
2	झालावाड़	14	12	2	12	–
3	जैसलमेर	6	6	–	6	–
4	पुष्कर	7	7	–	7	–
	योग	**38**	34	4	34	–

सर्वे दिनांक को चयनित 38 कार्यों में से 34 कार्य पूर्ण एवं 4 कार्य निर्माणाधीन थे। सभी पूर्ण कार्य स्वीकृति के अनुसार निर्मित किये गये। जिन 4 कार्यों का कार्य निर्माणाधीन था उनमें 2 कार्य सुलभ शौचालय के तथा 1 कार्य बस परिसर में निर्माण तथा विस्तार एवं 1 कार्य सी–सी रोड का है। अतः उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो में अधिकांश कार्य पूर्ण किये जा चुके थे।

3.13.0 कार्यों की गुणवत्ताः

3.13.1 अध्ययन के दौरान क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा चयनित निर्मित कार्यों का अवलोकन किया गया है एवं क्षेत्र के नागरिकों के समूहों से कार्यों की गुणवत्ता सम्बन्धी प्रतिक्रिया ली गई। अवलोकन के आधार पर पूर्ण हुए 34 कार्यों की निर्मित परिसम्पतियों/ कार्यों में से 18(52.94प्रतिशत) कार्यों/परिसम्पतियों की गुणवत्ता ठीक, 9(26.47प्रतिशत) अच्छी एवं 7(20.59 प्रतिशत) कार्यों की गुणवत्ता खराब बतायी गयी। 7 खराब कार्यों में से निकाय झालावाड़,डीग एवं पुष्कर के क्रमशः 4,2 एवं 1 कार्य थे। झालावाड़ के 4 कार्यों में से 2 कार्य फ्लड लाईट के थे परन्तु सर्वे दिनांक को फ्लड लाईटे बंदरो द्वारा तोड़ने/चोरी होने की संभावना से फ्लड लाईटें लगी हुई नहीं थी तथा 2 कार्य खड़िया पार्क में पार्क विकास एवं मनोरंजन हेतु झूला चकरी सम्बन्धित थे।इन कार्यों पर सर्वे दिनांक को जाली/रेलिंग एवं झूला चकरी टूटे हुए थे। पानी के अभाव में घास/दूब

सूखी हुई थी। डीग निकाय के 2 कार्य बस स्टैण्ड परिसर में सीमेन्ट एवं सड़क कार्य थे। बस स्टैण्ड परिसर में सीमेन्ट कार्य ठेकेदार द्वारा तखमीना के अनुसार कार्य नहीं करने के कारण स्टैण्ड पर पानी भरा रहता है। पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। सी.सी.रोड टेलीफोन एक्सचैंज की सड़क की गुणवत्ता ठीक नहीं थी जिसके कारण ठेंकेदार से 15 प्रतिशत राशि की कटौती किया जाना बताया गया। 1 कार्य पुष्कर निकाय का डस्टबिन सप्लाई एवं फिक्सेशन का था। सर्वे दिनांक को कई कचरा पात्र टूटे हुए देखे गये।

3.13.2 चयनित समस्त सरकारी/गैर सरकारी उत्तरदाताओं में से 19 (79.16 प्रतिशत) ने कार्यों की गुणवत्ता अच्छी एवं 4(16.67प्रतिशत) ने साधारण तथा शेष1(4.17 प्रतिशत) ने खराब होने की प्रतिक्रिया से अवगत कराया। जिस उत्तरदाता ने कार्य खराब होने की जानकारी दी, उनसे गुणवत्ता खराब होने की जानकारी करने पर बताया कि कार्य ठेके पर होने के कारण ठेकेदार उचित अनुपात में निर्माण सामग्री नहीं लगाई है तथा देखरेख का अभाव होने से कार्य में गुणवता खराब रही।

स्थानीय निकाय संस्थाओं द्वारा कार्यों की गुणवत्ता नार्म्स अनुसार बनाये रखने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिये ताकि स्थानीय नागरिकों द्वारा व्यक्त की गयी प्रतिक्रिया से बचा जा सके।

3.14.0 निर्मित परिसम्पति का उपयोगः

3.14.1 पूर्ण किये गये 34 कार्यों/ सृजित परिसम्पतियों में से 31(91.18 प्रतिशत) परिसम्पतियों का सर्वे दिनांक को उपयोग किया जा रहा था। जिन परिसम्पतियों/ कार्यों का उपयोग किया जा रहा था उनमें कचरा निस्तारण/ साफ सफाई करने,कचरो की निकासी/ गन्दगी हटाने में, ट्रेक्टर ट्राली कचरा पात्रों एवं अन्य उपकरणों का उपयोग किया जा रहा था, इसी प्रकार नागरिकों/ पर्यटकों के लिये रोशनी करने, सौन्दर्यकरण करने एवं हैरीटेज लुक देने में हाई मास्क लाईटों, टयूब लाईटों तथा फ्लड लाईटों का उपयोग किया जा रहा था ताकि आम रास्तों में आवागमन में सुविधा के साथ –साथ सौन्दर्यकरण में वृद्धि हो सके। निर्मित की गयी सड़कों का आवागमन एवं यातायात में उपयोग किया जा रहा है। पार्कों के सृजन/विकास से उनका नागरिको/बच्चों को भ्रमण करने, खेलने कूदने एवं मनोरंजन हेतु उपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार फोटोग्राफी स्थल हेतु जानकारी एवं पर्यटको के लिये विभिन्न स्मारकों/ स्थलों तक जाने वाले रास्तों के लिये जानकारी हेतु लगाये गये दिशा सूचक चिन्हों द्वारा जानकारी उपलब्ध हो रही थी। मूत्रालयों का उपयोग आम नागरिक द्वारा किया जा रहा है। जिससे स्वच्छता का वातावरण बना है लेकिन इनकी संधारण व्यवस्था/रखरखाव समुचित नहीं होने का इनका पूर्णतया उपयोग नहीं हो पा रहा है। अतः संधारण व्यवस्था को दुरस्त करने पर निर्मित परिसम्पतियां उपयोगी सिद्ध हो सकेंगी।

3.14.1.1 जिन 3(8.82 प्रतिशत)परिसम्पतियों का उपयोग नहीं किया जा रहा है उनमें 2 कार्यों की चोरी/बंदरो द्वारा तोड़ने के डर से नगर निकाय द्वारा लाईटें उतरवाकर अपने स्टोर में रखवा ली गई तथा एक कार्य न्यायालय अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण निर्मित कियोस्क बन्द पड़े रहने से उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

3.14.1.2 समस्त चयनित सरकारी/ गैर सरकारी उत्तरदाताओं ने योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पतियों का उपयोग किया जाना एवं उनको उपयोगी होना अवगत करवाया।

3.15.0 कार्य परिसम्पतियों का रखरखावः

3.15.1 चयनित 38 कार्यों में से 34 कार्य सर्वे दिनांक तक पूर्ण थे। सर्वे दिनांक को उन 34 पूर्ण कार्यों/ परिसम्पतियों के रखरखाव की निकायवार स्थिति निम्न प्रकार से सारणी में दर्शाई गयी हैः

सारणी संख्या–19
सृजित परिसम्पतियों/पूर्ण किये गये कार्यों के रखरखाव की स्थिति

(संख्या)

क्र. सं	चयनित निकाय का नाम	कुल चयनित कार्य	पूर्ण किये गये कार्य	रखरखाव का विवरण (संख्या में)		
				नगर पालिका द्वारा	सुलभ इन्टरनेशनल द्वारा	कोई व्यवस्था नहीं
1	डीग	11	9	4	1	4
2	झालावाड़	14	12	12	–	–
3	जैसलमेर	6	6	6	–	–
4	पुष्कर	7	7	7	–	–
	योग	**38**	**34**	**29**	**1**	**4**

3.15.1.1 उपरोक्त सारणी में दिये गये समंकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पूर्ण किये गये 34 कार्यों में से 29 (85.30 प्रतिशत) परिसम्पतियों का रखरखाव स्थानीय नगरपालिकाओं द्वारा एवं 1(2.94 प्रतिशत) का सुलभ इन्टरनेशलन संस्था द्वारा किया जा रहा था तथा 4(11.76 प्रतिशत) परिसम्पतियों के रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन 34 परिसम्पतियों में 17 (50.00 प्रतिशत) सृजित परिसम्पतियों के रखरखाव की स्थिति खराब पायी गयी। इन 17 परिसम्पतियों में से निकाय झालावाड़, डीग, पुष्कर की क्रमशः 8,6 एवं 3 परिसम्पत्तियां थी। निकाय जैसलमेर में सभी परिसम्पत्तियों का रखरखाव ठीक था। रखरखाव खराब होने वाले ज्यादातर कार्य पार्क विकास, नाली निर्माण, शौचालय, मुत्रालय इत्यादि के थे। रखरखाव खराब होने के निम्नांकित कारण रहेः

1 चौकीदार नहीं होने/देखरेख के अभाव में पार्क में लगाये गये झूले/चकरी एवं अन्य सामग्री चोरी होना एवं समाज कटंको द्वारा उन्हे तोड़ देना।

2 पार्क में रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं होने/ पानी नहीं देने के कारण पेड़ पौधे, दूब/ लॉन आदि सूख जाना।

3 निर्माण कार्यों की देखरेख के अभाव में टूट फूट होना।

4 सुलभ इन्टरनेशनल संस्था द्वारा सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं किया जाना।

5 साफ सफाई एवं रख रखाव में जनता का आवश्यक सहयोग नहीं मिलना। जिसके कारण सृजित परिसम्पतियों के असपास पानी भरना एवं गन्दगी/कीचड़ होना।

3.15.1.2 स्थानीय नागरिक समूहों से किये गये विमर्श के अनुसार इन पूर्ण किये गये/ सृजित परिसम्पतियों में से 13 (38.24 प्रतिशत) परिसम्पतियों के रखरखाव की व्यवस्था ठीक नहीं होना बताया गया एवं 9 (26.47 प्रतिशत) परिसम्पतियों की व्यवस्था स्थानीय निकाय द्वारा ठीक ढंग से किया जाना तथा 12 (35.29 प्रतिशत) कार्य/ परिसम्पतियों के रखरखाव हेतु पृथक से बजट नहीं होने के कारण रखरखाव में परेशानी होना अवगत करवाया गया।

3.15.1.3 समस्त चयनित सरकारी/गैरसरकारी उत्तरदाताओं ने योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पतियों/ कार्यों के रख रखाव का दायित्व स्थानीय नगर पालिकाओं द्वारा किया जाना अवगत करवाया गया। उनमें से 12(50.00 प्रतिशत) ने रखरखाव की समुचित व्यवस्था होना एवं शेष 12 (50.00 प्रतिशत) ने समुचित व्यवस्था नहीं होने की जानकारी दी है। कार्यकारियों से यह जानकारी प्राप्त की गई कि रखरखाव की व्यवस्था हेतु क्या परिवर्तन किया जाना चाहिये ? तत्सम्बन्धी प्रत्युत्तर में उन्होने निम्नांकित सुझाव दिये गये:—

सृजित परिसम्पतियों के रखरखाव हेतु सुझावः

क्र. सं.	सुझाव	सुझाव देने वाले उत्तरदाताओं की	
		संख्या	प्रतिशत
1	योजनान्तर्गत रखरखाव हेतु आवश्यक बजट भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिये।	10	41.66
2	कार्य निर्माण के पश्चात् निर्धारित अवधि तक के लिये रखरखाव की जिम्मेदारी निर्माण कार्य करने वाली एजेन्सी/ठेकेदार की होनी चाहिये उससे पूर्व उसे भुगतान नहीं करना चाहिये ताकि यदि निर्माण कार्य खराब/डेमेज होता है तो उसी से मरम्मत करवाई जा सके एवं उसे उतरदायी बनाया जा सके।	4	16.67
3	निकायों में निगरानी / रखरखाव हेतु स्टाफ की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये।	3	12.50
4	प्रत्युत्तर नहीं दिया	7	29.17

3.16.0 निरीक्षण एवं पर्यवेक्षणः

3.16.1 योजनान्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण नोडल विभाग द्वारा निर्धारित रूपरेखा / मार्गदर्शिका में की गयी व्यवस्था के अनुसार किया जाता है।अध्ययन हेतु 38 कार्यों में से 26(68.42 प्रतिशत) कार्यों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुई शेष 12(31.58 प्रतिशत) कार्यों की सूचना प्राप्त नहीं हुई। सूचना प्राप्त नहीं होने वाले 12 कार्यों में से 11 कार्य डीग एवं एक कार्य झालावाड़ निकाय का था। डीग निकाय के चयनित 10 कार्यों हेतु अवगत कराया गया कि कार्यों का निरीक्षण समय–समय पर कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा किये जाते है परन्तु निरीक्षण का अभिलेख संधारित नहीं किया गया है। शेष 2 कार्य सोलिड वेस्टेज निस्तारण सम्बन्धी कार्य के थे उनमे निरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी। निकाय झालावाड़, पुष्कर एवं जैसलमेर में पदवार किये गये निरीक्षणों का विवरण निम्न प्रकार है:

सारणी संख्या–20

निकायवार चयनित कार्यों का किये गये निरीक्षण का पदवार विवरण

(संख्या)

क्र. सं	निकाय का नाम	निरीक्षण किये गये कार्यों की संख्या	निरीक्षण किये गये कार्यों एवं निरीक्षणों की संख्या									
			कनिष्ठ अभियन्ता		सहायक अभियन्ता		अधिशाषी अभियन्ता		आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी		अन्य (निकाय अध्यक्ष / कलेक्टर)	
			*क	* ख	*क	* ख	*क	*ख	*क	*ख	*क	*ख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	झालावाड़	13	13	39	13	29	6	6	11	18	4	7
2	पुष्कर	7	7	26	7	16	–	–	5	18	–	–
3	जैसलमेर	6	6	30	6	18	6	6	–	–	–	–
	योग	26	26	95	26	63	12	12	16	36	4	7

*क–कार्य संख्या *ख– निरीक्षण संख्या

उपरोक्त सारणी में अंकित समंको के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रत्येक कार्य का निरीक्षण कनिष्ठ अभ्यिान्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा समय–समय पर किया गया। अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा निकाय झालावाड़ में निर्मित 12 कार्यों में से 6 कार्यों का एवं निकाय जैसलमेर में निर्मित समस्त 6 कार्यों का निरीक्षण कार्य किया गया। निकाय झालावाड़ एवं पुष्कर में निकायों के आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। निकाय झालावाड़ में 3 कार्यों का निकाय के अध्यक्ष द्वारा एवं एक कार्य का जिला कलेक्टर द्वारा पर्यवेक्षण कार्य किया गया। इससे स्पष्ट है कि

निकायों में कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य प्रत्येक स्तर के विभन्न अधिकारियों द्वारा किया गया। निकाय डीग में निरीक्षण सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं था जिससे निरीक्षण के दिये गये निर्देशों एवं उनकी अनुपालना सम्बन्धी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। निरीक्षण/पर्यवेक्षण सम्बन्धी अभिलेखों का संधारण किया जाना चाहिये ताकि कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान रखा जा सके तथा निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों की अनुपालना हो सके।

3.16.1.2 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित समस्त सरकारी/गैर सरकारी कार्यकारियों में से 23 (95.83 प्रतिशत) कार्यकारियों ने योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों का उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाना अवगत करवाया है एवं 1 (4.17 प्रतिशत) उत्तरदाता ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जिन 23 कार्यकारियों ने कार्यों के निरीक्षण किया जाना बताया है उनसे यह जानकारी करने पर किस स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया? तो उनके द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका के कमिशनर/ कार्यकारी अधिकारी/ नगर पालिका अध्यक्ष / सभापति एवं एस.डी.एम./ए.डी.एम/ कलेक्टर स्तर के अधिकरियों द्वारा निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया जाना अवगत करवाया गया।

2.16.2 निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा कार्यों के सम्बन्ध में की गई टिप्पणी/ सुझावों का विवरण निम्न प्रकार है:

1 उचित मार्गदर्शन लेकर कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाये।
2 कचरा पात्रों को यथास्थान रखा जाना चाहिये।
3 कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

3.17.0 कार्य निर्माण के प्रभावः

3.17.1 विरासत संरक्षण योजनान्तर्गत चयनित निकायों में आवश्यकतानुसार कार्यों का चयन किया गया। निर्माण से पूर्व चयनित निकायों में नागरिक सुविधाओं का अभाव था। सार्वजनिक स्थलों पर सुलभ शौचालय/ मूत्रालय नहीं होने से नागरिकों/पर्यटकों को असुविधा होती थी। शहर एवं पर्यटक स्थलों पर रोशनी नहीं होने से रात्रि में आने जाने एवं घूमने में परेशानी होती थी, कचरा प्रबन्धन निस्तारण एवं पानी के निकास की व्यवस्था नहीं होने से गन्दगी / कीचड़ रहता था। कच्चे, उबड–खाबड़ रास्ते व टूटी सड़कों के कारण आवागमन में परेशानी होती थी। पर्यटक स्थल उजाड़ की तरह सुनसान लगता था एवं सौन्दर्यकरण का अभाव था। पार्क व मनोरंजन के साधन नहीं होने से घूमने/शुद्ध पर्यावरण व हरियाली का अभाव होने से घूमने फिरने/ भ्रमण तथा आमोद प्रमोद का अभाव था। सम्पर्क सड़कों एवं नागरिक सुविधाओं के अभाव में यात्रियों/पर्यटकों/ नागरिकों को आने जाने में परेशानी होती थी।

3.17.1.1 योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पतियों से पर्यटकों, नागरिकों, यात्रियों को तो आवश्यक सुविधा उपलब्ध हुयी है साथ ही शहर के सौन्दर्यकरण में भी वृद्धि हुई है। योजनान्तर्गत कार्य निर्माण के पश्चात इनके निम्न प्रभाव दृष्टिगोचर हुये है।

1 सार्वजनिक स्थलों पर मूत्रालय/सुलभ शौचालय निर्मित हो जाने से नागरिकों/पर्यटकों को सुविधा उपलबध होना।

2 कचरा निस्तारण/प्रबन्धन व जल निकासी से शहर से गन्दगी का निस्तारण होना।

3 रोड लाईटों/फ्लड लाईटों/ हाई मास्क लाईटों से पर्यटक स्थलों तक रात में आने जाने व देखने की सुविधा मिली है तथा नागरिकों को नागरिक सुविधा उपलब्ध होना।

4 सड़क निर्माण/मरम्मत एवं फुटपाथ व डिवाईडर निर्माण से नागरिकों/ पर्यटकों को आवागमन में सुविधा मिली है तथा यातायात के साधनों से चलने वाले/पैदल चलने वाले यात्रियों/नागरिकों को चलने में सुविधा मिलना।

5 सौन्दर्यकरण कार्य होने से पर्यटक स्थलों पर सुन्दरता बढ़ी है एवं रात्रि में स्मारकों को देखने का अद्भूत दृश्य/ नजारा देखने को मिलना।

6 पार्क व मनोरंजन के साधन सृजित/ विकसित होने से शुद्ध पर्यावरण आमोद प्रमोद/ घूमने फिरने तथा मनोरंजन के साधन मिलना।

7 पर्यटक स्मारकों के विकास से पर्यटन भ्रमण संख्या में वृद्धि हुई है। साफ–सफाई होने से नागरिकों/पर्यटकों को स्वच्छता एवं सुन्दरता का वातावरण मिलना।

8 वृक्षारोपण एवं हरियाली हो जाने से स्थान शुद्ध पर्यावरण युक्त एवं रमणीक हो गये जिससे घूमने–फिरने, दौड़ने, टहलने में नागरिकों को सुविधा मिलना।

9 योजनान्तर्गत विकास कार्य निर्माण के दौरान स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिला तथा अतिरिक्त रोजगार सृजित हुआ है जिससे खोमचे, ठेले वाले, फल, पेयपदार्थ/ जूस सेन्टर्स आदि धन्धे विकसित होना।

3.18.0 चयनित कार्यों की अवलोकित भौतिक स्थितिः

क्षेत्रीय कार्य के दौरान मूल्यांकन दलों द्वारा विरासत संरक्षण विकास योजना के अन्तर्गत करवाये गये चयनित कार्यों का अवलोकन किया गया। जिन निकायों के कार्य की उपयोगिता एवं रखरखाव में कमी अवलोकित की गयी उनका कार्यवार विवरण निम्न प्रकार हैः–

<u>चयनित निकाय झालावाड़ में निर्मित कार्यः</u>

निकाय झालावाड़ के चयनित 14 कार्यों में से 12 कार्य पूर्ण हो चुके थे एवं 2 कार्य प्रगति पर थे। निर्मित 12 कार्यों में से 4 की गुणवत्ता एवं रखरखाव तथा 4 कार्यों का रखरखाव खराब था, शेष 4 कार्यों की गुणवत्त एवं रखरखाव ठीक था। जिन 8 कार्यो का रखरखाव ठीक नहीं था एवं दो कार्य प्रगति पर थे उनकी अवलोकित भौतिक स्थिति निम्न प्रकार थीः–

1 खंडिया पार्क में झूला चकरी लॉन एवं पार्क विकासः

योजनान्तर्गत खंडिया पार्क में दो कार्य पार्क विकास एवं पार्क में झूला चकरी के करवाये गये जिन पर क्रमशः 2.68 एवं 1.19 लाख रूपये व्यय किये गये। पार्क में बच्चों के मनोरंजन एवं खेलने कूदने हेतु झूला चकरी लगाई गई थी किन्तु देखरेख के अभाव में झूला चकरी टूट जाने एवं चोरी चले जाने के कारण बच्चे मनोरंजन करने से वांचित हो गये। मौके पर पार्क का रखरखाव खराब था व तालाब के चारों और लगी जाली/ रेलिंग को समाज कंटकों द्वारा तोड़ दिया गया। समय पर घास की कटिंग नहीं होने से जंगली पेड़ पौधे/ घास उग आये एवं पानी की कमी के कारण लान/दूब सूखी हुयी थी। वर्तमान में पार्क में केवल असामाजिक तत्वों का बोलबाला है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की आवाजाही कम होती है। पार्क के रखरखाव हेतु तीन चौकीदार व बागवान लगाये गये थे। किन्तु सर्वे दिनांक को कोई उपस्थित नहीं था। योजनान्तर्गत वर्ष 2006–07 तक यह पार्क बहुत सुन्दर ढ़ंग से विकसित किया गया था, यहां आम नागरिक सपरिवार आकर मनोरंजन करते थे। किन्तु सर्वे दिनांक को इसकी स्थिति काफी दयनीय थी। अतः इस पर किया गया व्यय परिसम्पत्ति सृजन एवं जन उपयोग की दृष्टि से निष्फल हुआ है।

2 घंटाघर परिसर का सौन्दर्यकरण का कार्यः

वर्ष 2005–06 में योजनान्तर्गत घंटाघर परिसर के दो कार्य परिसर में फ्लड लाईटें एवं परिसर के सौन्दर्यकरण के स्वीकृत किये गये जिन पर क्रमशः 3.75 लाख एवं 9.38 लाख रूपये व्यय किये गये। इस घंटाघर परिसर में पूर्व में सब्जी मंडी चलती थी जिसे खाली करवाकर वहां फ्लड लाईटे लगवाई गई एवं लॉन लगवाया गया। सर्वे दिनांक को फ्लड लाईटे नहीं थी। पूछने पर जानकारी दी गई कि फ्लड लाईटें बन्दरो द्वारा तोड़ दी गई। फुटपाथ बनाकर लॉन विकसित किया गया किन्तु रखरखाव/ देखरेख के अभाव में वहां जंगली पेड़ पौधे/ घास इतनी अधिक विकसित हो चुकी थी कि चलना भी दूभर था। अतः जिम्मेदारी निर्धारित नहीं होने के कारण घंटाघर परिसर की लाईटे एवं लॉन के रखरखाव पर किया गया व्यय निरर्थक हो गया। रखरखाव की व्यवस्था समुचित होने पर ही कार्य उपयोगी रह सकेगा।

3 घोड़ा स्मारक के पास पार्क विकास कार्यः

वर्ष 2005–06 में योजनानतर्गत पार्क विकास हेतु 3.80 लाख रूपये स्वीकृत किये गये थे जिस पर 3.77 लाख रूपये व्यय किये जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवा दिये गये। सर्वे दिनांक तक पार्क में किसी भी प्रकार से आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। रखरखाव के अभाव में पार्क की दशा दयनीय पाई गई।

4 सुलभ शौचालयों के निर्माण कार्यः

योजनान्तर्गत इस निकाय में दो सुलभ शौचालयों का निर्माण कार्य सुलभ इन्टरनेशनल संस्था द्वारा करवाया जा रहा है जिसमें एक हरिजन मोहल्ले में तथा दूसरा राजकीय चिकित्सालय में निर्माणाधीन है। सर्वे दिनांक तक इनका कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। ओल्ड ब्लाक के पीछे निर्माणाधीन सुलभ शौचालय की प्रशासनिक स्वीकृति जून 2008 में जारी की गई किन्तु निर्माण कार्य एक वर्ष के लगभग समय व्यतीत होने पर भी अपूर्ण था। राजकीय अस्पताल में निर्माणाधीन शौचालय में 9 महिला शौचालय तथा 9 पुरूष शौचालय बनाये गये है तथा एक बड़ा बाथरूम निर्मित करवाया गया है। सर्वे दिनांक को इसमें घिसाई का कार्य चल रहा था। अतः उक्त दोनों स्थानों पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये गये थे।

5 डाक बंगला रोड पर टैरेस गार्डन विकास कार्यः

डाक बंगला रोड पर वर्ष 2007–08 में हनुमानजी के मंदिर के आगे खाली स्थान पर पेड़ पौधे व लॉन लगवाकर टैरेस गार्डन का नाम दिया गया था एवं मंदिर के चारों ओर चार दीवारी के अतिरिक्त जो भी कार्य किया गया, देखरेख व रखरखाव के अभाव में दयनीय स्थिति में था। अतः इस कार्य का भी सार्वजनिक उपयोग नहीं हो सका।

6 गागरोन फोर्ट में लाईटों का कार्यः

योजनान्तर्गत 4.70 लाख रूपये की लागत की कुल 14 लाईटें सौन्दर्यकरण/ रोशनी हेतु गागरोन फोर्ट में लगाई गई थी, बाद में नगर परिषद द्वारा चोरों के भय से यह लाईटें खुलवाकर अपने स्टोर में रखवा ली गई जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है अतः इस कार्य पर किया गया व्यय भी निरर्थक रहा। पर्यटको हेतु यह स्थान महत्वपूर्ण है। सर्वे दिनांक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा फोर्ट का जीर्णोद्धार किया जा रहा था। उन्होने प्लड लाईटें लगाकर रोशनी की व्यवस्था की है।

7 मंगलनाथ की डूंगरी विकासः

ऐतिहासिक प्राचीन काल मंगलीनाथ की डूंगरी को विकसित किया गया था परन्तु स्थल पर जाने के आवागमन हेतु सुविधाजनक रास्ता नहीं होने, स्थल पर पानी, बिजली की व्यवस्था नहीं की गयी। अतः रखरखाव हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होने पर ही विकसित स्थल की उपयोगिता हो पायेगी।

चयनित डीग नगरपालिका शहर में निर्मित कार्यः

निकाय डीग के चयनित 11 कार्यो में से 9 कार्य पूर्ण हो चुके थे एवं 2 कार्य प्रगति पर थे। पूर्ण किये गये 9 कार्यो में से 6 कार्यो का रखरखाव खराब था। अपूर्ण रहे एवं रखरखाव ठीक नहीं होने वाले कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है।

1 **सी.सी.रोड निर्माण कार्यः**

डीग शहर में राजकीय चिकित्सालय से शहीद स्मारक तक सी.सी.रोड के निर्माण कार्य हेतु 28.67 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई थी एवं उक्त निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मार्च 2008 में जारी की गई थी तथा जुलाई 2008 को कार्य प्रारम्भ किया गया जिसकी निर्धारित अवधि दो माह में पूर्ण करने की थी किन्तु सर्वे दिनांक तक एक वर्ष की अवधि में भी कार्य पूर्ण नहीं था एवं निर्माण कार्य चल रहा था।

2 **बस स्टैण्ड परिसर में सीमेन्ट कार्यः**

नगर पालिका डीग शहर में स्थित बस स्टैण्ड परिसर में 5.62 लाख रूपये व्यय कर मई 2006 में सीमेन्ट निर्माण का कार्य किया गया था तथा उपयोगिता/ पूर्णता प्रमाण पत्र भिजवा दिये गये थे किन्तु क्षेत्र कार्य के दौरान मूल्यांकन दल द्वारा अवलोकन करने पर पाया कि कार्य की गुणवत्ता खराब है। ठेकेदार द्वारा तखमीना के अनुसार कार्य नहीं किया गया एवं पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं की गई जिसके कारण स्थिति पूर्व जैसी ही बनी हुई थी तथा पानी भरा रहता है, उक्त स्टैण्ड की भूमि नगरपालिका की है एवं रोडवेज को दी हुई है अतः उपरोक्त कार्य उतना उपयोगी नहीं हुआ जितनी राशि व्यय की गई है। जल निकास की व्यवस्था नहीं होने से पानी भरा रहता है जिससे यात्रियों को परेशानी होती है।

3 **बस स्टैण्ड परिसर का निर्माणः**

यात्रियों/पर्यटकों एवं स्टाफ की सुविधा तथा आने जाने वाली बसों को यथा स्थान खड़ी करने हेतु बस स्टैण्ड परिसर के निर्माण हेतु 45.08 लाख रूपये की राशि वर्ष 2007–08 में स्वीकृत की गई थी एवं जुलाई 2008 में कार्य प्रारम्भ कर इसे 8 माह में पूर्ण किया जाना था किन्तु सर्वे दिनांक एक वर्ष तक निर्माण कार्य चल रहा था जो पूर्ण होने की अवस्था में थी एवं सर्वे दिनांक तक 32.52 लाख रूपये की राशि उक्त कार्य पर व्यय की गयी।

4 **सी.सी. रोड एक्सचेन्ज :**

यह कार्य दिसम्बर 2006 से प्रारम्भ करवाकर फरवरी 2007 तक पूर्ण किया गया। स्वीकृत राशि 6.37 लाख रूपये के विरूद्ध 5.33 लाख रूपये व्यय किये गये। सड़क निमार्ण गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण 15 प्रतिशत की कटौती कर ठेकेदार को भुगतान किया गया। सड़क पर जगह–जगह खड्डे पड़े हुए थे एवं मरम्मत की आवश्यकता थी।

5 **अन्य चार कार्यों का विवरण :**

शेष 4 कार्यो में से 2 कार्य नाली निमार्ण, 1 कार्य शौचालय एवं 1 कार्य मुत्रालयों के थे इनमे साफ–सफाई की कमी थी, गन्दे थे एवं बदबू आ रही थी जिसके कारण इनके रखरखाव की व्यवस्था कर साफ–सुथरे रखने की आवश्यकता है।

चयनित पुष्कर नगर पालिका क्षेत्र में निर्मित कार्यः

निकाय पुष्कर के चयनित 7 कार्य पूर्ण थे उनमे से 4 कार्यो की गुणवत्ता एवं रखरखाव ठीक था एवं जिन 3 कार्यो का रखरखाव ठीक नही था उनका विवरण निम्न प्रकार है।

1 **कियोस्क निर्माणः**

योजनान्तर्गत एक कियोस्क का निर्माण 0.35 लाख रूपये की राशि से न्यायालय परिसर में करवाया गया था किन्तु बाद में न्यायालय के अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण अब इस कियोस्क की यहां कोई उपयोगिता नहीं रही। सर्वे दिनांक को कियोस्क बन्द था। इस स्थान पर अब आमजन के नहीं आने–जाने से इसका उपयोग नहीं हो सकेगा। अतः इस कार्य पर किया गया व्यय निरर्थक रहा।

2 **कचरा पात्र**

शहर में कई सार्वजनिक एवं राजकीय परिसरों में योजनान्तर्गत कचरा पात्र लगाये गये थे। इनमें राजकीय परिसर में लगाये गये कचरा पात्रों की स्थिति तो ठीक है किन्तु अन्य स्थानों पर लगाये गये कचरा पात्रों की स्थिति ठीक नहीं थी जिन्हे असामाजिक तत्वों द्वारा नष्ट कर दिया गया/ तोड़ दिया गया। अतः जनसहयोग प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यों की उपयोगिता कम होती जा रही है।

3 **पेशाब घरः**

शहर में विभिन्न स्थानों पर 3.76 लाख रूपये की राशि व्यय कर पेशाब घरों का निर्माण कार्य करवाया गया था किन्तु अवलोकन में पाया कि इनकी स्थिति भी रखरखाव/देखरेख के अभाव में तथा साफ सफाई नहीं करने के कारण खराब थी। नियमित साफ–सफाई नहीं करने से वहां गन्दगी व बदबू पाई गयी।

चयनित जैसलमेर निकाय क्षेत्र में निर्मित कार्यः

निकाय जैसलमेर में चयनित 6 कार्यो में पटवा हवेली, जैसलमेर दुर्ग एवं विरासत स्मारकों के कार्य ही करवाये गये। समस्त कार्यो की गुणवत्ता एवं रखरखाव ठीक होना अवलोकित किया गया।

अतः उपरोक्त निर्मित कार्यों के अवलोकन के दौरान पायी गयी कमियों को दूर करने हेतु विभागीय स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि निर्मित परिसम्पतियों को उपयोगी बनाया जा सके।

————

अध्याय –चतुर्थ

योजना क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ एवं सुझाव

विरासत संरक्षण एवं विकास योजना राज्य के 31 चयनित किये गये शहरों में क्रियान्वित की गई। मूल्यांकन अध्ययन हेतु 4 सम्भागों में से प्रत्येक सम्भाग से एक–एक स्थानीय शहरी निकाय का चयन अध्ययन हेतु किया गया। इस प्रकार 4 स्थानीय शहरी निकायों को चयनित कर इन निकायों को वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक आवंटित राशि से स्वीकृत कार्यों की प्रलेखीय सूचनाओं, कार्यों की भौतिक स्थिति का अवलोकन/ सत्यापन एवं चयनित निकायों में कार्यरत सरकारी/गैर सरकारी कार्यकारी उत्तरदाताओं एवं नागरिक समूहों से व्यक्तिशः साक्षात्कार कर उनसे प्राप्त सूचनाओं, प्रतिक्रियाओं तथा जानकारी क्षेत्रीय कार्य के दौरान मूल्यांकन दल द्वारा प्राप्त की गयी। योजना के सम्पादन/संचालन में विभिन्न स्तरों द्वारा अनुभूत कमियों/कठिनाइयों का संकलन किया गया है। योजना को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु निम्नांकित सुझाव व्यावहारिक साबित होंगे।

1 अभिलेखों का संघारण, मोनिटरिंग एवं समन्वय की व्यवस्थाः

अध्ययन हेतु चयनित स्थानीय शहरी निकायों द्वारा वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक उपलब्ध करवाई गई वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के समंकों एवं राज्य के विभागीय स्तर पर प्राप्त सूचनाओं/समंको में अन्तर पाया गया। विभाग से प्राप्त अद्योतन प्रगति के अनुसार भी निकाय चौमू, जयपुर, जोधपुर को आवंटित राशि के विरूद्ध भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शून्य अंकित है। इससे यह प्रतीत होता है कि राज्य, जिला स्तरीय नोडल एजेन्सी एवं निकायों में परस्पर समन्वय का अभाव होने के साथ ही योजना/ कार्यों की नियमित मोनिटरिंग नहीं हो पाती है तथा अभिलेखों का सही रूप से संघारण नहीं हो पाता है। उक्त कमियों के कारण योजना की वास्तविक प्रगति परिलक्षित नहीं हो पायी। अतः योजना के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित सुझावों को अंगीकार किया जाना चाहियेः

i राज्य एवं जिलावार स्थानीय शहरी निकाय स्तर पर योजना के अभिलेखों को वर्षवार संघारित किया जाना चाहिये एवं सूचना तन्त्र को प्रभावी एवं परिष्कृत कर योजना की अद्योतन सूचनायें यथा समय प्राप्त की जानी चाहिये ताकि योजना की वास्तविक प्रगति की स्थिति स्पष्ट हो सके।

ii राज्य स्तर पर विभागीय मुख्यालय एवं जिला स्तरीय नोडल एजेन्सियों में परस्पर समन्वय स्थापित कर प्रभावी नियन्त्रण किया जाना चाहिये।

iii योजना की नियमित मोनिटरिंग/ समीक्षा की जानी चाहिये ताकि कार्यक्रम को गति मिल सके एवं यदि कहीं कोई कठिनाई/ विचलन आ रहा है तो समय पर उसे दूर किया जाना चाहिये।

2 **योजनान्तर्गत अवशेष राशि का उपयोगः**

विभाग से प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अद्योतन समंको से ज्ञात होता है कि कई निकायों द्वारा आवंटित राशि के विपरीत व्यय की गयी राशि की अद्योतन सूचना विभाग को नहीं भिजवायी है एवं चौमू, जयपुर, जोधपुर निकाय की प्रगति शून्य है। अतः विभाग द्वारा समस्त निकायों से व्यय राशि एवं अवशेष राशि की सूचना प्राप्त की जावे तथा जिन निकायों में अवशेष राशि व्यय करने की कोई सम्भावना नहीं हो तो उनसे राशि प्राप्त कर अन्य निकायों को आवंटित कर योजनान्तर्गत कार्यों पर उपयोग में लिया जाना चाहिये। इस हेतु समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर अवशेष राशि का उपयोग किया जाना चाहिये।

3 **आवंटित राशि के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र यथा समय प्राप्त करनाः**

संदर्भित वर्षों में निकायों द्वारा आवंटित राशि का शतप्रतिशत उपयोग निर्धारित वित्तीय वर्षो में नहीं किया जाकर अगले वित्तीय वर्षों में किया गया तथा निकायों द्वारा व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र यथा समय विभाग को नहीं भिजवाये गये जिससे आवंटित राशि की वास्तविक उपयोगिता की जानकारी के अभाव में लम्बे समय तक निकायों के पास अवशेष राशि पड़ी रही है। अतः आवंटित राशि के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र यथा समय प्राप्त करने हेतु विभाग को प्रयास करने चाहिये तथा निकायों को आवंटित राशि से स्वीकृत कार्यों पर व्यय किये जाने की निर्धारित समय में ही किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना चाहिये।

4 **निर्मित कार्यों के रखरखाव हेतु पृथक से बजट/ राशि का प्रावधानः**

सर्वे के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि योजनान्तर्गत कार्यों के निर्माण से अधिकांश स्वीकृत परिसम्पतियों का रखरखाव नहीं होने से सर्वे दिनांक को जनोपयोगी नहीं पाये गये। असामाजिक तत्वों द्वारा सृजित सम्पतियों को नष्ट कर देना/उन्हें चोरी कर ले जाना, आदि के साथ चौकीदार के अभाव में उनकी देखरेख नहीं होना, पानी के अभाव में पेड़ पौधे लॉन आदि सूख जाना, पार्कों को विकसित नहीं करना आदि के कारण उस सम्पत्ति की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। यह एक सामान्य बात है कि जो वस्तु/सम्पत्ति सृजित की गई है उसके रखरखाव की योजना भी होनी चाहिये। योजना में रखरखाव हेतु पृथक से बजट का प्रावधान/ उपलबध नहीं होने के कारण सृजित कार्य/ परिसम्पतियों के रखरखाव/ निगरानी में कठिनाइयां आ रही है अतः

विभाग द्वारा योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पतियों की सुरक्षा व निगरानी के साथ रखरखाव हेतु योजनान्तर्गत पृथक से बजट/ राशि का प्रावधान किया जाना उपयुक्त रहेगा तथा कार्यकारी एजेन्सियों को यह राशि उपलब्ध करवाई जानी चाहिये या फिर उन स्थानीय निकायों की राशि आवंटन की जावे तो संधारण की जिम्मेदारी वहन करने को वचनबद्ध हो क्योंकि सम्पतियों के यथेष्ट रखरखाव के अभाव में सृजित परिसम्पतियों के शीघ्र नष्ट होने की सम्भावना बनी रहती है।

5 **परिपूर्ण नियोजन सुनिश्चित करनाः**

ऐतिहासिक हेरीटेज स्थलों के विकास हेतु विरासत संरक्षण विकास योजनान्तर्गत परिपूर्ण नियोजन पद्धति को अपनाया जाना चाहिये। इसे स्थलों के आस पास पानी, बिजली, स्वच्छता (साफ–सफाई), सड़क,वृक्षारोपण तथा सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये तथा इसी प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही योजना तैयार की जानी चाहिये तथा शहर के परिपूर्ण विकास हेतु आवश्यकतानुसार योजनान्तर्गत बजट का प्रावधान किया जाना चाहिये।

6 **कार्यकारी एजेन्सी का उतरदायित्व निर्धारित किया जावेः**

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कार्यकारी एजेन्सी/ निर्माण कार्य एजेन्सी (ठेकेदार) का उतरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिये ताकि यदि एक निशचित अवधि में निर्माण कार्य खराब/डेमेज होता है तो उसी निर्माण एजेन्सी द्वारा उसका पुनः निर्माण करें इस हेतु निर्माण कार्य करने वाली एजेन्सी को किये जाने वाले भुगतान की कुछ राशि रोक लेनी चाहिये एवं निर्धारित अवधि के पश्चात् इसे वापस लौटा दी जावे।

7 **कार्यो के चयन एवं रखरखाव में जन भागीदारीः–**

विरासत संरक्षण विकास कार्यों के चयन में स्थानीय नागरिकों एवं जन प्रतिनिधियों की राय अनुसार एवं कार्यों का चयन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ही करवाने हेतु समिति का पुनर्गठन कर इसमे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी दी जानी चाहिए तथा सृजित परिसम्पतियों के रखरखाव हेतु जन सहयोग/ जन भागीदारी प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिये।

8 विरासत संरक्षण से सम्बन्धित कार्य प्राथमिकता से ज्यादा करवाये जाने चाहिये तथा योजना का दायरा बढ़ाकर अधिक बजट स्वीकृत किया जाना चाहिये।

9 योजनान्तर्गत जन सहयोग हेतु भी दिशा निर्देश दिये जाने चाहिये अर्थात जन सहयोग हेतु योजना मे प्रावधान किया जाना चाहिये ताकि जनसहभागिता बढ़ने से जनसहयोग भी प्राप्त हो सके।

10 जिन शहरी स्थनीय निकायों में मास्टर प्लान नहीं है उन निकायों के मास्टर प्लान तैयार करवाये जाने चाहिये।

11 ऐसे निमार्ण कार्य भी चिन्हित/निर्मित कराये जाने चाहिए जो स्थानीय निकाय का आय के स्त्रोत हो सके ताकि प्राप्त राजस्व से कार्यो का संधारण/रखरखाव करने में सहुलियत हो सके।

निष्कर्ष:

''विरासत संरक्षण एवं विकास योजना'' राज्य के शहरों में विरासत स्मारकों के निकट नागरिक सुविधाओं का विकास करने के उद्धेश्य क्रियान्वित योजना सिद्धातः शत–प्रतिशत उपयोगी है। योजनान्तर्गत जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यों का चयन उस क्षेत्र/स्थानीय कार्य की आवश्यकता एवं उनकी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए उपयोगी कार्यों का चयन किया गया। निकायों को वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में आवंटित राशि में से निकाय चौमू, जयपुर एवं जोधपुर में राशि व्यय नहीं की गयी या तीनों निकायों से व्यय की गयी राशि/स्वीकृत कार्यों की प्रगति विभाग को प्राप्त नहीं हुयी जो कि राज्य स्तर पर प्रभावी मोनीटरिंग का अभाव दर्शाता है। विभाग स्तर पर वर्ष 05–06 से 07–08 तक आवंटन राशि के विरूद्ध 24.58 प्रतिशत राशि वर्ष 09–10 तक व्यय नहीं की हुयी है। अतः विभाग द्वारा समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर निकायों से व्यय की गयी राशि वास्तविक स्थिति जानकारी प्राप्त कर शेष रही अवशेष राशि का योजनान्तर्गत उपयोग किया जाना चाहिये। अध्ययन हेतु 79 प्रतिशत चयनित कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक थी 21 प्रतिशत कार्यों की गुणवत्ता सर्वे दिनांक को सृजित परिसम्पत्तियों की टूट फूट होना, सुरक्षा, रखरखाव एवं निगरानी की व्यवस्था नहीं होना, निर्माण सामग्री निर्धारित अनुपात में नहीं लगाना, पानी के निकास की कमी से पानी भरना इत्यादि कमियों के मध्यनजर संतोषजनक नहीं पायी गयी। सर्वे दिनांक को 50.00 प्रतिशत परिसम्पतियों के रखरखाव की व्यवस्था समुचित नहीं होने के कारण उनकी उपयोगिता नगण्य पायी गयी। रखरखाव की कमी वाले कार्य मुख्यतः पार्क विकास एवं विस्तार, नाली निमार्ण, शौचालय, मुत्रालय एवं फ्लड लाइट सम्बन्धित थे। योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों के रखरखाव/निगरानी की कमी से उनका उपयोग घटता जा रहा है। अतः इन कार्यों को जनोपयोगी रखने हेतु उनकी सुरक्षा एवं निगरानी हेतु जनसमुदाय सहभागिता की अति आवश्यकता जान पड़ती है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समय पर प्रगति विवरण प्राप्त करना एवं रखरखाव हेतु बजट आवंटन, जनसहभागिता एवं कार्यकारी एजेन्सी का उत्तरदायित्व निर्धारण किये जाने पर ही कार्यों की उपयोगिता एवं योजना का निहित उद्देश्य सफल हो सकेगा।

————

परिशिष्ट–I

योजनान्तर्गत निकाय वार वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में आवंटित राशि में से व्यय राशि का विवरण

(रूपये लाखों में)

क्र. सं.	निकाय का नाम	आवंटित राशि			योग	व्यय राशि			योग	आवंटित राशि से व्यय की गयी राशि का प्रतिशत
		2005–06	2006–07	2007–08		2005–06	2006–07	2007–08		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	पुष्कर	24.00	–	–	24.00	22.47	–	–	22.47	93.63
2.	अजमेर	–	–	75.00	75.00	–	–	54.59	54.59	72.79
3.	भरतपुर	32.00	–	–	32.00	32.00	–	–	32.00	100.00
4.	डीग	67.00	25.00	75.00	167.00	67.00	24.93	72.01	163.94	98.17
5.	कांमा	79.00	–	–	79.00	79.00	–	–	79.00	100.00
6.	स. माधोपुर	22.00	25.00	–	47.00	19.04	27.95	–	46.99	99.98
7.	चौमू	–	–	50.08	50.08	–	–	*	*	शून्य
8.	जयपुर	–	200.00	–	200.00	–	*	-	*	शून्य
9.	अलवर	38.00	–	–	38.00	38.00	–	–	38.00	100.00
10.	फतेहपुर	68.00	25.00	50.00	143.00	68.00	25.00	48.70	141.70	99.09
11.	सीकर	–	–	60.00	60.00	–	–	62.47	62.47	104.12
12.	झुन्झुनू	22.00	25.00	–	47.00	22.00	18.26	–	40.21	85.66
13.	मंडावा	55.00	–	50.00	105.00	55.00	–	13.14	68.14	64.90
14.	नवलगढ़	57.00	–	50.00	107.00	57.00	–	48.80	105.80	98.88
15.	खेतड़ी	31.00	–	–	31.00	31.00	–	–	31.00	100.00
16.	बाँसवाड़ा	37.00	25.00	75.00	137.00	35.62	27.42	74.62	137.66	100.48
17.	चित्तौडगढ़	57.00	25.00	–	82.00	57.00	26.61	–	83.61	101.96
18.	डूँगरपुर	52.00	100.00	39.92	191.92	52.00	60.08	39.92	152.00	79.20
19.	नाथद्धारा	26.00	–	–	26.00	25.74	–	–	25.74	99.00
20.	उदयपुर	–	–	75.00	75.00	–	–	30.85	30.85	41.13
21.	चूरू	31.00	25.00	40.00	96.00	31.00	25.00	16.10	72.10	75.10
22.	बीकानेर	–	–	25.00	25.00	–	–	24.94	24.94	99.76
23.	रतननगर	27.00	–	–	27.00	27.00	–	–	27.00	100.00
24.	पीलीबंगा	28.00	–	–	28.00	27.01	–	–	27.01	96.46
25.	बूँदी	74.00	–	75.00	149.00	74.00	–	67.33	141.33	94.85
26.	कोटा	–	–	75.00	75.00	–	–	10.85	10.85	14.47
27.	झालावाड़	77.00	25.00	60.00	162.00	74.67	26.34	42.67	143.68	88.69
28.	झालरापाटन	–	–	50.00	50.00	–	–	44.08	44.08	88.16
29.	छबड़ा	58.00	35.00	–	93.00	55.00	12.25	–	67.25	72.31
30.	जैसलमेर	28.00	15.00	–	43.00	27.46	13.85	–	41.31	96.07
31.	जोधपुर	–	–	75.00	75.00	–	–	*	*	शून्य
	योग	**990.00**	**550.00**	**1000.00**	**2540.00**	**977.01**	**287.69**	**651.07**	**1915.77**	**75.42**

* निकायो को राशि आवंटित की गयी है परन्तु व्यय राशि की प्रगति "**शून्य**" अंकित है।

परिशिष्ट–II

योजनान्तर्गत निकाय वार वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में स्वीकृत कार्यो की भौतिक प्रगति का विवरण

क–स्वीकृत कार्य, ख–पूर्ण कार्य, ग–कार्य प्रगति पर एवं घ–चालू नहीं/निरस्त

(रूपये लाखों में)

क्र. सं	निकाय का नाम	2005–06				2006–07				2007–08				योग			
		क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.	पुष्कर	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	11	–	–
2.	अजमेर	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	–	1	5	4	–	1
3.	भरतपुर	14	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	14	–	–
4.	डीग	17	17	–	–	4	4	–	–	2	2	–	–	23	23	–	–
5.	कांमा	20	18	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	20	18	–	2
6.	स. माधोपुर	10	9	–	1	8	8	–	–	–	–	–	–	18	17	–	1
7.	चौमू	–	–	–	–	–	–	–	–	*	*	*	*	*	*	*	*
8.	जयपुर	–	–	–	–	*	*	*	*	–	–	–	–	*	*	*	*
9.	अलवर	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	7	–	–
10.	फतेहपुर	9	8	–	1	13	3	–	10	7	4	1	2	29	15	1	13
11.	सीकर	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–
12.	झुन्झुनू	7	7	–	–	4	3	–	1	–	–	–	–	11	10	–	1
13.	मंडावा	13	13	–	–	–	–	–	–	5	1	2	2	18	14	2	2
14.	नवलगढ़	14	14	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	15	15	–	–
15.	खेतड़ी	7	5	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7	5	–	2
16.	बाँसवाड़ा	13	13	–	–	5	5	–	–	7	7	–	–	25	25	–	–
17.	चित्तौडगढ़	13	11	–	2	2	2	1	–	–	–	–	–	15	12	1	2
18.	डूँगरपुर	11	11	–	–	2	2	–	–	6	6	–	–	19	19	–	–
19.	नाथद्धारा	11	9	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	11	9	–	2
20.	उदयपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	2	1	4	1	2	1
21.	चूरू	13	13	–	–	11	11	–	–	6	6	–	–	30	30	–	–
22.	बीकानेर	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–
23.	रतन नगर	9	8	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9	8	1	–
24.	पीलीबंगा	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	1
25.	बूँदी	14	11	–	3	–	–	–	–	4	4	–	–	18	15	–	3
26.	कोटा	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–
27.	झालावाड़	12	12	–	–	5	5	–	–	10	6	3	1	27	23	3	1
28.	झालरापाटन	–	–	–	–	–	–	–	–	6	4	1	1	6	4	1	1
29.	छबड़ा	11	11	–	–	6	4	1	1	–	–	–	–	17	15	1	1
30.	जैसलमेर	6	6	–	–	4	4	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–
31.	जोधपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	*	*	*	*	*	*	*	*
	योग	245	230	1	14	64	50	2	12	66	49	9	8	375	329	12	34

***** राशि आवंटन परन्तु व्यय राशि शून्य एवं कार्यो की संख्या अंकित नहीं हैं।